Heat Wave Action Plan 2023

District Disaster Management Authority

Gonda

<u>मानचित्र</u>

Map)

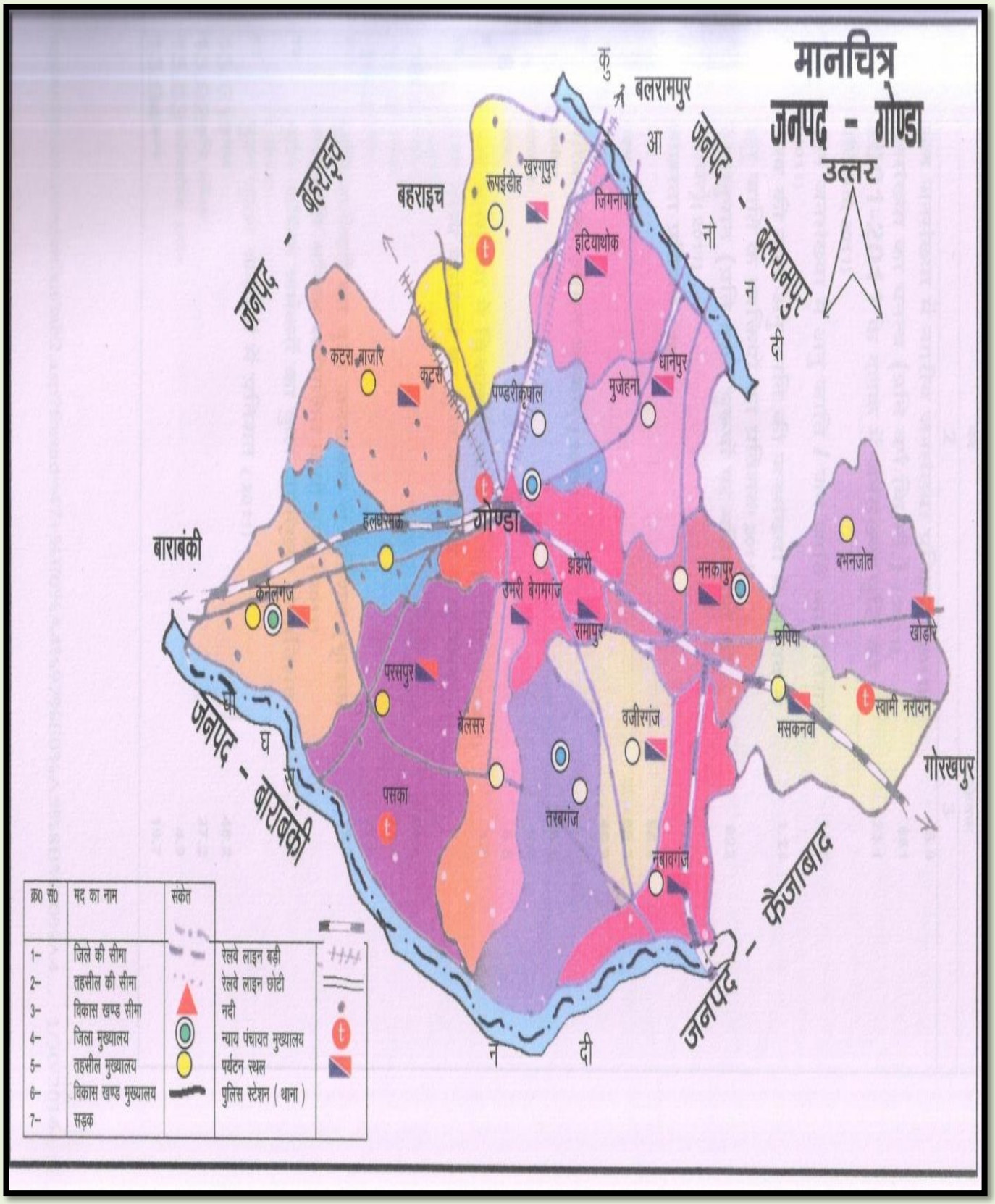

मानचित्र
जनपद - गोण्डा
उत्तर
बलरामपुर
जनपद - बलरामपुर
जनपद - बहराइच
बहराइच
बाराबंकी
जनपद - बाराबंकी
जनपद - फैजाबाद
गोरखपुर
गोण्डा
रूपईडीह
खरगपुर
जिगनापार
इटियाथोक
कटरा बाजार
कटरा
पण्डरीकृपाल
मुजेहना
धानेपुर
हलधरमऊ
कर्नलगंज
झंझरी
उमरी बेगमगंज
रामपुर
मनकापुर
बभनजोत
खोड़ारे
छपिया
मसकनवा
स्वामी नरायन
परसपुर
बेलसर
पसका
तरबगंज
वजीरगंज
नबावगंज
क्र0 सं0
मद का नाम
संकेत
1- जिले की सीमा
2- तहसील की सीमा
3- विकास खण्ड सीमा
4- जिला मुख्यालय
5- तहसील मुख्यालय
6- विकास खण्ड मुख्यालय
7- सड़क
रेलवे लाइन बड़ी
रेलवे लाइन छोटी
नदी
न्याय पंचायत मुख्यालय
पर्यटन स्थल
पुलिस स्टेशन (थाना)

प्रस्तावना

21वीं सदी की शुरूआत के बाद से एशिया में तापमान और बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान के औसत में वैश्विक वृद्धि और अधिक होगी, हीट वेव दुनिया भर में मृत्यु और रूग्णता का एक महत्वपूर्ण कारण है, तथा जलवायु परिवर्तन से उष्मा तरंगों की तीव्रता के कारण गर्मी की घटनाओं के प्रभाव में वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान मेंवैश्विक तापमान में वृद्धि जारी है।इस बढ़ते तापमान को मनुष्य द्वारा महसूस भी किया जा रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 77.73 प्रतिशत ग्रामीण एवं 22.27 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है। प्रदेश की अधिकांश जनता का जीवन–यापन अधिक तापमान, वर्षा, बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, वज्रपात आदि मौसम की विभीषिकाओं से प्रभावित होता है। जनपद में ग्रीष्म ऋतु का अधिक प्रभाव रहता है। ग्रीष्म ऋतु में जनपद गोण्डा में तापमान 40° से 46°तथा कभी–कभी और ऊपर तक पहुंच जाता है।

जिला प्रोफाइल

गोण्डा जनपद उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल में घाघरा नदी के उत्तर देवीपाटन मण्डल में स्थित है। जनपद के पूरब की सीमा पर जनपद बस्ती पश्चिम में जनपद बहराइच, उत्तर में जनपद बलरामपुर तथा दक्षिण में फैजाबाद व बाराबंकी जनपद स्थित है। विश्व के मानचित्र में जनपद गोण्डा 26.41 से 27.51 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 81.30 से 82.06 पूर्वी देशान्तर के मध्य में अवस्थित है।

इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 4003 वर्ग किमी0 है, जो देवीपाटन मण्डल के कुल क्षेत्रफल का 28.13 प्रतिशत है। इस जनपद में 04 तहसीलें गोण्डा, मनकापुर, करनैलगंज एवं तरबगंज है। इन तहसीलों में तहसील गोण्डा का क्षेत्रफल 1249.48 वर्ग किमी0, तहसील मनकापुर का 763.70 वर्ग किमी0, तरबगंज का 963.31 वर्ग किमी0 व करनैलगंज का 1026. 51 वर्ग किमी0 है। इस प्रकार जनपद गोण्डा के कुल क्षेत्रफल का 31.21 प्रतिशत तहसील गोण्डा, 19.07 प्रतिशत तहसील मनकापुर, 24.06 प्रतिशत तहसील तरबगंज व 25.64 प्रतिशत तहसील करनैलगंज का क्षेत्रफल है।

जनपद में बाराही देवी, खैरा भवानी तथा शंकर जी दुःखहरन नाथ एवं पृथ्वीनाथ मन्दिर अपनी धरोहर दीर्घकाल से सजोये हुए है। जनपद पूर्वी जनपदों से काफी पिछड़े जनपदों में आता है। तहसील करनैलगंज व तरबगंज सरयू , घाघरा की तलहटी में बसा है, यही कारण है कि इस क्षेत्र में बाढ़ एवं सूखे की बराबर सम्भावना बनी रहती है। फिर भी प्राकृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र उपजाऊ है।

यह जनपद अपने ऐतिहासिक गौरव को सजोये हुए है। भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई में यह जनपद अग्रणी रहा है। यहॉ के राजा देवीबक्श सिंह एक वीर योद्वा व देशभक्त राजा थे, जिन्होनें स्वतन्त्रता की लड़ाई में अंग्रेजो के साथ लड़ते–लड़तें अपने जीवन के साथ–साथ अपने परिवार को भी न्यौछावर कर दिया। उनका बनवाया हुआ सागर तालाब आज भी नगर की शोभा बढ़ा रहा है।

जनपद में घाघरा, सरयू एवं कुआनों तीन प्रवाहिनी नदियां है। इसके अतिरिक्त बिसुही, मनवर व टेढ़ी मौसमी नदियां है। घाघरा नदी जनपद की दक्षिणी सीमा बनाती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। सरयू नदी जनपद के दक्षिण पश्चिम दिशा से विकास खण्ड करनैलगंज में प्रवेश करती हुई पसका के पास घाघरा नदी में मिल जाती है।

हीटवेव (लू) की परिभाषा एवं मौसम विभाग द्वारा परिभाषित संबंधित मानदण्ड

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी जगह का स्थानीय तापमान लगातार 03 दिन तक वहां के सामान्य तापमान से 03°Cया अधिक बना रहे तो उसे लू या हीट वेव कहते है। विश्व मौसम संघ के अनुसार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार 05 दिन तक सामान्य स्थानीय तापमान से 5°C अधिक बना रहे अथवा लगातार दो दिन तक 45°Cसे अधिक का तापमान बना रहे तो उसे **हीट वेव** या '**लू**' कहते हैं। जब वातावरणीय तापमान 37°Cतक रहता है तो मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नही पड़ता है। जैसे ही तापमान 37°Cसे ऊपर बढ़ता है तो हमारे शरीर को प्रभावित करने लगता है। नीचे दिये गये तापमान/आर्द्रता सारणी से स्पष्ट है:–

तापमान जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री या सामान्य तापमान से अधिक रहता है तो उष्मा की तंरगें या हीटवेव घोषित की जानी चाहिए। उच्च दैनिक चरम तापमान और लंबें समय तक, अधिक तीव्र गर्मी की लहरें जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व स्तर पर लगातार बढ़ रही हैं। भारत भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है जो गर्मी की लहरों के बढ़े हुए उदाहरणों के रूप में जो प्रत्येक गुजरते साल के साथ प्रकृति में अधिक तीव्र होते हैं और मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। जिससे गर्मी की लहर हताहतों की संख्या बढ़ जाती है।

उच्च दैनिक चरण तापमान और लंबे समय तक, अधिक तीव्र गर्मी की लहरें जलवायु परिवर्तन के कारण विष्व स्तर पर लगातार बढ़ रही हैं। भारत भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है जो गर्मी की लहरों के बढ़े हुए उदारहरण के रूप में है जो प्रत्येक गुजरते साल के साथ प्रकृति में अधिक तीव्र होते हैं, और मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं जिससे गर्मी की लहर हताहतों की संख्या बढ़ जाती है। लू (हीट–वेव) घोषित करने के लिए उपरोक्त मानदंडो में से कम लगातार 2 दिनो के लिए बना रहना होगा। यह दूसरे दिन लू (हीट–वेव) की स्थिति घोषित किया जाएगा।

Table 1: Temperature/ Humidity Index

Relative Humidity %	Temperature °C																
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
40	27	28	29	30	31	32	34	35	37	39	41	43	46	48	51	54	57
45	27	28	29	30	32	33	35	37	39	41	43	46	49	51	54	57	
50	27	28	30	31	33	35	36	38	41	43	46	49	52	55	58		
55	28	29	30	32	34	36	38	40	43	46	48	52	54	58			
60	28	29	31	33	35	37	40	42	45	48	51	55	59				
65	28	30	32	34	36	39	41	44	48	51	55	59					
70	29	31	33	35	38	40	43	47	50	54	58						
75	29	31	34	36	39	42	46	49	53	58							
80	30	32	35	38	41	44	48	52	57								
85	30	33	36	39	43	47	51	55									
90	31	34	37	41	45	49	54										
95	31	35	38	42	47	51	57										
100	32	36	40	44	49	56											

Caution | Extreme Caution | Danger | Extreme Danger

Source: Calculated °F to °C from NOAA's National Weather Service

विभिन्न क्षेत्रों पर हीटवेव (लू) का प्रभाव

जनपद गोण्डा में अक्टूबर से फरवरी तक सर्दियों का मौसम तथा मार्च से मध्य जून तक गर्मी, मध्य जून से सितम्बर तक वर्षा ऋतु का मौसम रहता है। गर्मी के मौसम में 38° से 45° तक तापमान हो जाता है। वर्ष 2021 का अधिकतम तापमान 43° तक पहुंच गया था।

लू (हीट–वेव) फसल उत्पादन कीमात्रा औार गुणवत्ता दोनों को अत्यधिक प्रभावित करती है जिससे फसलों का अत्यधिक नुकसान होता है। रवी तथा जायद की फसेलें हीटवेव से अधिक प्रभावित होती है।

लू (हीट–वेव) की स्थिति अत्यधिक लम्बे समय तक बने रहने से असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को दिन के समय हीट से बचने के लिए घर के अन्दर रहना पड़ता है जिससे उनके कार्य व उनकी आजीविका प्रभावित होती है।

वर्ष 2021 के माह अप्रैल,मई, जून व वर्ष 2022 के माह मार्च के अधिकतम तापमानका विवरण निम्नवत् है:–

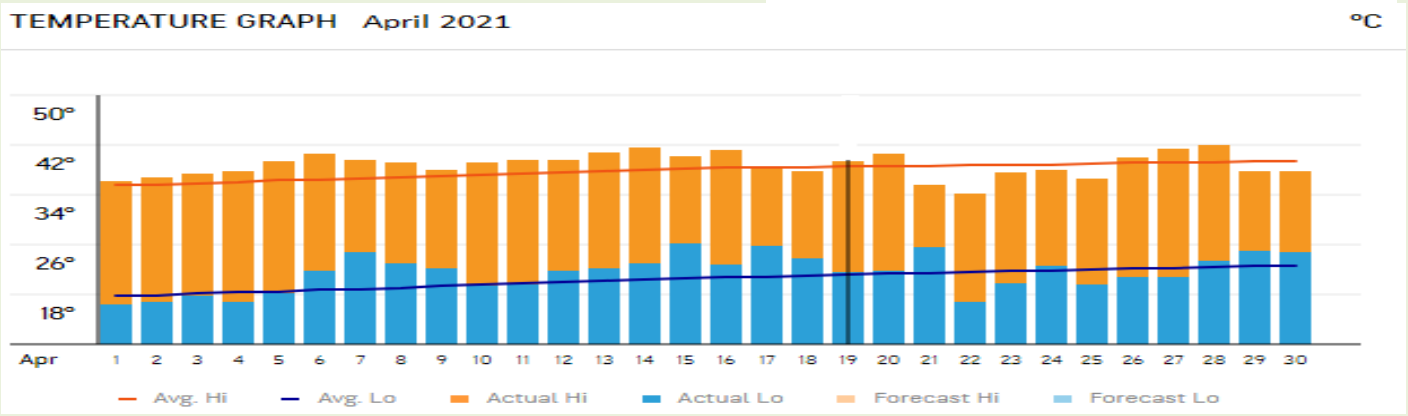

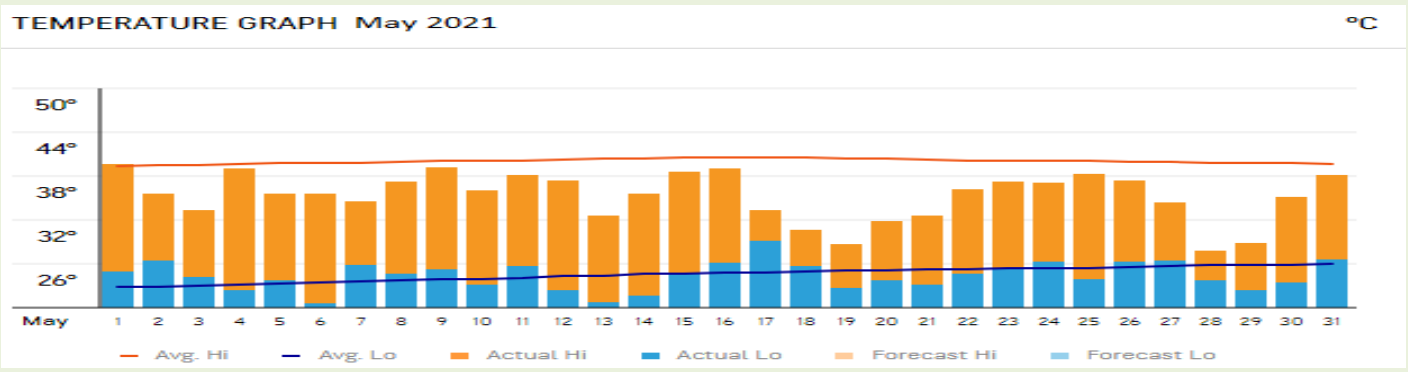

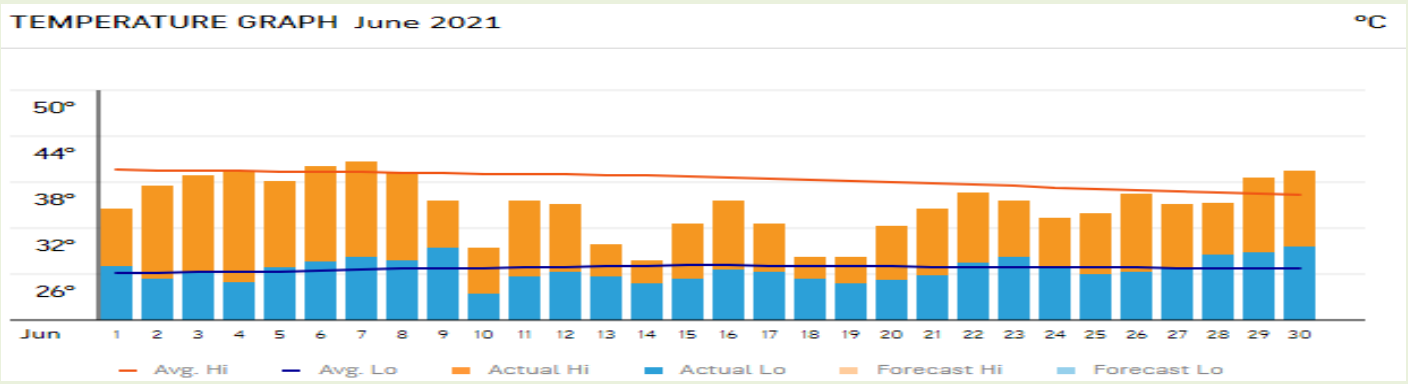

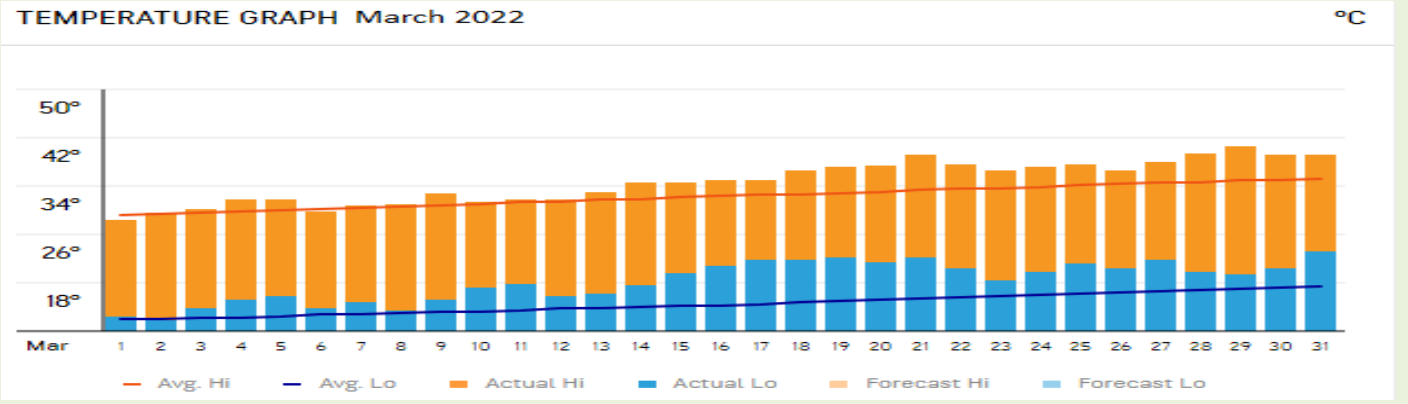

विगत 05 वर्षों में सर्वाधिक तापमान तथा हीटवेव (लू) दिवस की संख्या

Year	Maximum Temperature Recorded					Number of Heat Weve days
	March	April	May	June	July	
2018	35.3	42.4	44.9	44.7	39.2	
2019	32.5	44.2	42.1	42.9	35.9	
2020	34.2	42.5	41.5	43.7	37.7	
2021	36.7	42.5	41.5	43.7	37.4	
2022	39.2	43.7	43.8	45.7	40.5	

हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का सूत्रण

जनपद स्तर पर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष हीट वेव कार्य योजना तैयार किया जाता है। जिसमें जनपद के सम्बंधित विभागों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां भी शामिल रहती हैं।

लू–प्रकोप (Heat wave) कार्य योजना के उद्देश्यः–

1. लू (हीट–वेव) के प्रति संवेदनशील क्षेत्र की पहचान।
2. लू (हीट–वेव) से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना।
3. हितधारको की भूमिकाये एवं जिम्मेदारियॉ।
4. स्वास्थ्य जोखिमों के समाधान के लिए एजेन्सियों का समन्वय।
5. लू (हीट–वेव) की घटना से पूर्व चेतावनी/अलर्ट।
6. प्रलेखन रिपोर्टिग।

जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन (कमजोर वर्ग एवं क्षेत्र की पहचान करना)

- जनपद में सामान्य अधिकतम तापमान में वृद्धि के कारण ग्रीष्मकाल में लू (हीट–वेव) का प्रकोप देखा जाता है। प्रायः मानसून के आगमन से पूर्व अधिकतम तापमान में माह जून तक वृद्धि होती है कभी– कभी माह जुलाई में भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। हाल ही के वर्षो में भारत में लू (हीट–वेव) के कारण हताहतो की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लू (हीट–वेव) की तीव्रता भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। यद्यपि लू (हीट–वेव) के कारण भारत में वर्ष 2013 में 1216, वर्ष 2014 में 1677, तथा वर्ष 2015 सवाधिक 2422 व्यक्ति हताहत हुए है। लू (हीट–वेव) के कारण वन जीव एवं पशु–पशुओं की भी मौतो की संख्या में वृद्धि हुई है। जनपद में लू (हीट–वेव) के कारण जनहानि, पशुहानि संख्या शून्य है

हीटवेव (लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियाँ

- पूर्व चेतावनी तंत्र एवं एजेन्सियों के मध्य समन्वय स्थापित करना जिससे सम्बन्धित विभागो को निदेर्शित किया जा सके, जिससे जनसामान्य को सचेत व जागरूक किया जा सकें।
- लू (हीट–वेव) के दौरान इससे सम्बन्धित बीामरियों की पहचान एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों, पैरी मेडिकल स्टाफ व सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाना जिससे हीटवेव पीडित व्यक्तियों को प्रभावी चिकित्सा सहायता प्राप्त हो सकें।
- प्रिन्ट इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया एव आई0ई0सी0 मेटेरियल जैसे– पर्चे, पोस्टर विज्ञापन आदि के माध्यम से हीटवेव की स्थिति में क्या करे क्या न करे के सम्बन्ध में जन–जागरूकता में वृद्वि करना ।
- गैर सरकारी संगठनो एवं अन्य सामाजिक सगंठनो के सहयोग से लू (हीट–वेव) बचने हेतु स्थाई आश्रयों/रैनबसेरों का निर्माण करना।

पूर्व चेतावनी प्रणाली तंत्र–पूर्व चेतावनी प्रणाली तंत्रस्थापित करना एवं संस्थाओं का आपसी समन्वय जिससे अत्यधिक तापमान पूर्व चेतावनी की सूचना निवासियों को दी जा सके।

क्षमता संवर्धन/प्रशिक्षण कार्यक्रम–चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर गर्मी से उत्पन्न बीमारियों को पहचानने एवं उसका इलाज करने सम्बन्धी प्रशिक्षण/जानकारियां देकर रूग्ण दर एवं मृत्यु दर कम किया जा सके।

- मेडिकल ऑफिसर

- पैरामेडिकल स्टॉफ
- सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी
- गैर सरकारी संस्थाएं

a. जन जागरूकता एवं समुदाय को आगे बढ़ाना–

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आई0ई0सी0 सामग्रियां जैसे– पैम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, टेलीविजन के माध्यम से इलाज के उपाय, बीमारी से रोकथाम, गर्म हवा से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाना

b. गैर सरकारी संस्थाओं के साथ सहभागिता–

गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसायटी के साथ सहभागिता कर बस स्टैण्ड एवं जहां आवश्यक हो वहां अस्थायी शेल्टर का निर्माण, क्षेत्रों में पानी आपूर्ति का कार्य जिससे लू–प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटा जा सके।

4– लू–प्रकोप अवस्था आने के पूर्व की योजनाः–

a. गर्म हवा से शहर एवं गांवों में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की सूची तैयार करना।

b. शहर एवं गांवों में होर्डिंग, स्क्रिन, ब्लैक बोर्ड की संख्या बढ़ाना जिसमें तापमान का पूर्वानुमान लोगों की जानकारियां हेतु प्रदर्शित किया जा सके।

c. क्षमता संवर्धन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करना। जिसमे अस्पताल कर्मी, विद्यालय, आंगनवाड़ी सेविका, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संस्थाएं, समुदाय के प्रधान आदि को शामिल करना।

d. अस्पतालों में गर्म हवा के प्रकोपों के इलाज हेतु सामग्रीयों का स्टॉक तैयार रखना/एम्बुलेंस आदि की संख्या बढ़ाना।

हीटवेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र

I.M.D. से प्राप्त हीट वेव के पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी देना एवं सूचना प्रदर्शित करना। समुदाय के बीच गर्मी की चेतावनी प्रचार प्रसार हेतु एस0एम0एस0, वाहट्सप, टी0वी0, रेडियो, विद्यालय, ब्लैक बोर्ड, पंचायत के नोटिस बोर्ड आदि के माध्यम से चेतावनी का प्रचार प्रसार करना।

a. रैन बसेरा को पूरे दिन भर के लिए क्रियाशील करना, अन्य अस्थाई शेल्टर को क्रियाशील करना।

b. पेयजल की व्यवस्था करना एवं उसके आपूर्ति की व्यवस्था करना(विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में)।

c जनपद स्तर पर स्थापित ईमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर के माध्यम से (कन्ट्रोल रूम के माध्यम से तहसील/ब्लाक/ग्राम स्तर पर सूचना का आदन प्रदान किया जाता है और तहसील ब्लाक स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाती हैं

विभिन्न विभागों/एजेन्सी के चरणवार उत्तरदायित्व

विभाग का नाम	कार्रवाईयाँ		
पंचायतीराज विभाग	लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)	लू के दौरान (अप्रैल–जून)	लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)
	ग्रामीण क्षेत्र के जलाषयों/ तालाबों में आवष्यकतानुसार जल भराना। वृक्षारोपण कराना पेयजल की व्यवस्था करना। स्वच्छता की रणनीत बनाना।	ग्रामीण क्षेत्रो के सार्वजनिक स्थलो, चौराहो व आवष्कयतानुसार संबंधित ग्रामो में पानी की टंकी/टैंकरो आदि की व्यवस्था कराना सुनिष्चित करायें। आवष्यकतानुसार विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रो/स्थलों पर (जहां छाया हो/लोगों का ठहराव होता हो) आदि का चिन्हाकरण करते हुये विभिन्न स्थलों पर प्याउ (गिलाष सहित) आदि का व्यवस्था कराना।	आकलन करना। रिपोर्ट करना। वित्तीय कार्य। आगामी कार्य योजना का निर्माण।

विभाग का नाम	कार्रवाईयाँ		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,	लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)	लू के दौरान (अप्रैल–जून)	लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)
	•सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर गर्मी से होने वाली बीमारियों और विकार में काम आने वाली दवाइयां व उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिए गए हैं। •मार्च के महीने में हीटवेव रोगों के शीघ्र निदान और प्रबंधन के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों	• .प्रचार प्रसार हेतु आईईसी सामग्री को गर्मी के मौसम में मुद्रित करने का प्रस्ताव है। आई0ई0सी0 के माध्यम से जन–जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा। • प्रचार माध्यमों द्वारा जनता को ''क्या करें, क्या न करें' ' के बारे में	•जलवायु परिवर्तन को स्थिर रखने के लिए वन एवं कृषि विभाग के साथ अन्तर्क्षेत्रीय समन्वय स्थापित किया जायेगा। • जुलाई के महीने में भी गर्मी के मौसम में की जाने वाली गतिविधियों को जारी रखने की योजना बनाई गई है।

	का प्रशिक्षण प्रस्तावित है	जानकारी देना तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना। • हीट वेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट) की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। • आशा को अपने–अपने क्षेत्रों में फील्ड विजिट के दौरान घर–घर वितरण के लिए। O.R.S दिया जाएगा।	•अप्रैल से जून के महीने के दौरान हीट सिंकोप हीट स्ट्रोक और अन्य हीट डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों के विस्तृत केस स्टडी की योजना बनाई गई है।

विभाग का नाम	कार्रवाईयाँ		
परिवहन विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित परिवहन के लिए स्वास्थ्य टीमों की तैयारी एवं पीने के पानी तथा यात्रियों के लिए लू से बचाव की उचित व्यवस्था कराना।	बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित परिवहन के लिए स्वास्थ्य टीमों की तैयारी एवं पीने के पानी तथा यात्रियों के लिए लू से बचाव की उचित व्यवस्था कराना। बस स्टैण्डों पर यात्रियों के लिए छायां एवं पेयजल की व्यवस्था करना।	मरम्मत कार्य कार्य योजना का निर्माण। आवश्यकतानुसार संसाधन हेतु रणनीत बनाना।

विभाग का नाम	कार्रवाईयाँ		
पशुपालन विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	उक्त समय में पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आने वाले अगले गर्मी के मौसम से पूर्व सर्तक रहते हुए जनजागरूकता अभियान चलाते हुए	अप्रैल से जून के मध्य प्राय गरमी अधिक होती है अतः सभी पशुपालको को सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं को भारत सरकार के द्वारा चलाये जा रहे खुरपका/मुहॅपका रोग का	जुलाई के माह में प्रायः अगस्त तक वारिश का मौसम रहता है उक्त समय में गलाघोटू बीमारी हो जाती है जिसके लिए जनपद स्तर पर टीका मगा लिया जाता है एवं जनपद में टीकाकरण करा लिया जाता

	पशुपालको को गर्मी से बचाव हेतु जैसे– उन्हे छाया में रखना एवं समय समय पर नहलाना आदि की जानकारी प्रदान की जाती है	निःशुल्क टीकाकरण कराये एव गलाघोटू बीमारी के टीकाकरण भी जो कि निःशुल्क विभाग द्वारा लगाये जा रहे है सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारियो/गठित टीम के माध्यम से टीकारण अवश्य कराये।	है। नबम्वर से दिसम्वर तक प्रायः सर्दी का मौसम रहता है इसमें पशुओं के ठण्ड से बचाने के उपाय किये जाते है जनपद में मुहपॅका/खुरपका रोग की 5,84,000 एवं गलाघोटू रोग का 4,32,950 डोज का टीकाकरण किया जा चुका है।

विभाग का नाम	**कार्रवाईयाँ**		
शिक्षा विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	समस्त विद्यालयों में आगामी माह में अत्यअधिक गर्मी से बचाव हेतु कक्षा/कक्षों में छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार पंखो की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। ठण्डे एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तथा विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाय।	समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यो को पत्र जारी कर निर्देशित करते हुये छात्र/छात्राओ को लू के दौरान बिन्दुवार सावधानियॉ रखने की सलाह– 1. छात्र/छात्राआ एवं शिक्षकों को पर्याप्त और नियमित अंतराल पर पानी पीते रहे। 2.खुद को हाईड्रेड रखने के लिये ओ0आर0एस0 घोल , नारियल पानी, नीबू पानी छाछ, आदि घरेलू पेय पदार्थो का इस्तमाल करें 3. हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपडे पहने। 4. धूप में निकलते समय सिर को ढक कर रखे 5.विद्यालयों में साफ एवं ठण्डे पानी की व्यवस्था किया जाना। 6. बहुत अधिक आवश्यकता होने पर धूप/गर्मी में घर से वाहर निकले। 7. कक्षा–कक्षों की खिडकियों को खुला रखें और कमरों में पंखों की व्यवस्था करें। 8. अचानक ठण्डी जगह से एक दम गरम जगह में न जायें। 9.गर्मी के मौसम में चाय कॉफी गरम पेय का सेवन कम करें एवं मसालेदार चीजों का	मौसम परिवर्तित होने पर शरीर को पूर्ण रूप से ढकने वाले कपडो का इस्तमाल करने हेतु समस्त छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जाय। जुलाई अगस्त माह में वर्षा वाले मौसम में होने वाली बिमारियों के प्रति छात्र/छात्रओं को जागरूक किया जाना

		सेवन कम करें। सभी छात्र/छात्राओं को सलाह दी जाये कि घर से निकलते समय खाली पेट न जाये। हल्का व शीघ्र पचने वाला भोजन करें।	

विभाग का नाम	कार्रवाईयाँ		
श्रम विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए समय (12:00 से 03:00 बजे) हीट वेव/लू से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए समय (12:00 से 03:00 बजे) हीट वेव/लू से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था करना। कार्य करने के स्थान पर पेयजल और छाया की व्यवस्था कराना। सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाये। श्रमिकों/कामगारों के कार्य घंटों में परिवर्तन किए जाये।	कार्य करने के स्थान पर पेयजल और छाया की व्यवस्था किये गये रिपोर्ट बनाकर प्रेषित करना। आगामी वर्ष की रणनीत बनाना।

विभाग का नाम	कार्रवाईयाँ		
अग्निशमन विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	अग्निशमन/जीवरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशमन यूनिटों को संशाधनों के सहित 24x7 के अनुसार क्रियाशील रखेंगे	लू के दौरान अग्निदुर्घटना/ जीवरक्षा कार्यों हेतु मानव व मशीनों को सदैव तैयारी हालत में रखना तथा जनसाधारण को अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम व बचाव के उपायों से निरन्तर प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक	अग्निशमन/जीवरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशमन यूनिटों को संशाधनों के सहित 24x7 के अनुसार क्रियाशील रखेंगे।

		करना।	

विभाग का नाम	कार्रवाईयाँ		
स्थानीय शहरी निकाय,	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	पेयजल की व्यवस्था हेतु कार्य करना। सेल्टर होम हेतु स्थान का चिन्हिकरण करना। स्वच्छता हेतु कार्य योजना बनाना।	मंदिरों/लोक भवन/मॉल में कुलिंग सेंटर संचालित किए जाये। नगरीय क्षेत्रो के सब्जी मण्डी/चौराहो व सार्वजनिक स्थलो पर शीतल जल की समुचित व्यवस्था तथा नगर के दूर–दराज क्षेत्रो में पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। आवश्यकतानुसार विभिन्न नगरीय क्षेत्रो/स्थलों पर (जहां छाया हो/लोगों का ठहराव होता हो) आदि का चिन्हाकरण करते हुये विभिन्न स्थलों पर प्याऊ (गिलाश सहित) आदि का व्यवस्था कराना।	किये गये कार्यों का आकलन करना। आगामी वर्ष की तैयारी करना। क्षति का आकलन करके कार्य योजना बनाना।

विभाग का नाम	कार्रवाईयाँ		
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	जनमानस के जागरूक करने हेतु सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रनिक मीडिया व अन्य	बल्क मैसेज भेजने के लिए पोर्टल बनाना। गर्मी से संबंधित बीमारियों पर जन जागरूकता समाचार	आगमी सत्र की तैयारी करना। किये गये कार्यों को मूल्यांकन।

	संसाधन संस्थाओं के साथ बैठक का रणनीत बनाना।	पत्र,सोशल मीडिया(व्हाट्सएप्प, फेसबुक आदि) के माध्यम से हीट वेव से बचाव का व्यापक प्रचार प्रसार कराना।	बजट की कार्य योजना बनाना।

विभाग का नाम	**कार्रवाईयाँ**		
जल निगम	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	सर्वे करना। खराब हैण्डपम्प, टयूवबेल व अन्य पेयजल का चिन्हिकरण करना।	पेयजल की व्यवस्था। हैण्डपम्प व टयूवबेल को सही रखना।	आगमी सत्र की तैयारी करना। किये गये कार्यों को मूल्यांकन। बजट की कार्य योजना बनाना।

विभाग का नाम	**कार्रवाईयाँ**		
कृषि विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	1. समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय मौसम एवं तापमान की जानकारी किसानों तक पॅहुचाना। 2. किसानों को बताना कि गेहूँ की कटाई दोपहर में न करें। सुबह व शाम के समय करें। 3. जायद की फसलें बाजरा, मक्का, उर्द एवं मूँग की उन्नत प्रजातियों की समय से बुवाई करें।	1. जायद की फसलों में सुबह व शाम को आवश्यक सिंचाई करें, जिससे खेत में नमी बनी रहे। 2. किसान भाई खेत में काम करते समय पीने का पानी साथ में रखें। 3. किसान भाई सुबह व शाम के समय सिंचाई करें। दोपहर	1. वर्षा ऋतु में खेत की मेड़ों पर वृक्ष लगाऐं। 2. किसान भाईयों को बताना है कि फसल अवशेष न जलायें।

	4. उच्च तापमान के कारण फसलों में गर्मी के तनाव के कारण 15–25 प्रतिषत औसत उपज हानि हो जाती है। 5. उच्च तापमान के कारण फसल क्षति का मुख्य कारण मुख्य रूप से फूलों का गिरना तथा नये पौधों का मुरझा जाना। 6. हीटवेव(लू) का प्रभाव अधिकांश रबी एवं जायद की फसलों पर पड़ता है। 7. तापमान में किसी भी प्रकार का अत्यधिक परिवर्तन उत्पादकता को प्रभावित करता है।	में न करें। 4. जायद की फसल जैसे मक्का के खेत में नमी बनी रहे जिससे भुट्टे में बीज की गुणवत्ता अच्छी रहे। 5. बाजरा की फसल में समय पर सिंचाई करें 6. मूँग की तुड़ाई शाम के समय करें। अधिक तापमान में न करें। 7. तापमान में किसी भी प्रकार का अत्यधिक परिवर्तन उत्पादकता को प्रभावित करता है	

विभाग का नाम	कार्रवाईयाँ		
सिंचाई विभाग	लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)	लू के दौरान (अप्रैल–जून)	लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)
	सिंचाई विभाग के द्वारा माह जनवरी और मार्च के समय में सिंचाई हेतु कृषकों से संपर्क कर आकडें तैयार कर, अन्य स्थानों पर पानी की उपलब्धता हेतु समस्त कार्यो का सम्पादन कर लिया जाता है।	कृषको को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है एवं तालाबों में भी जल से भर कर जल उपलब्धता मुहइया कराये जाने हेतु कार्य किये जाते है। क्यों कि हीटवेव के समय पानी जल ही जीवन होता है। नहरों में जल की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।	जो कार्य लू के दौरान (अप्रैल–जून) किये जाते है यही प्रक्रिया लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर) भी जारी रहती है।

विभाग का नाम	कार्रवाईयाँ		
वन विभाग	लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)	लू के दौरान (अप्रैल–जून)	लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)
	बैठक करना।	पब्लिक प्लेस में	आगमी सत्र की

	चिन्हिकरण करना। जागरूक करना। पशु पक्षी हेतु पेयजल की व्यवस्था हेतु रणनीत।	उचित वनीकरण कराना सुनिश्चित करना। जंगल क्षेत्र में आग लगने से बचाने के लिए जल की व्यवस्था कराना। अधिक मात्रा में पेड़ लगवाना तथा जंगल एरिया बढ़ाना। वन क्षेत्र में जानवरों एवं पंक्षियों के लिए तालाब एवं पानी के स्त्रोतों का उचित प्रबन्धन करना।	तैयारी करना। किये गये कार्यों को मूल्यांकन। बजट की कार्य योजना बनाना।

विभाग का नाम	कार्रवाईयाँ		
विद्युत विभाग	लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)	लू के दौरान (अप्रैल–जून)	लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)
	खराब पड़े ट्रान्स्फार्मर–खम्भा व संसाधन का सर्वे करना तथा उसका मरम्मतर कराना।	विद्युत की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रखना। कन्ट्रोल रूम की स्थापना।	आगमी सत्र की तैयारी करना। किये गये कार्यों को मूल्यांकन। बजट की कार्य योजना बनाना।

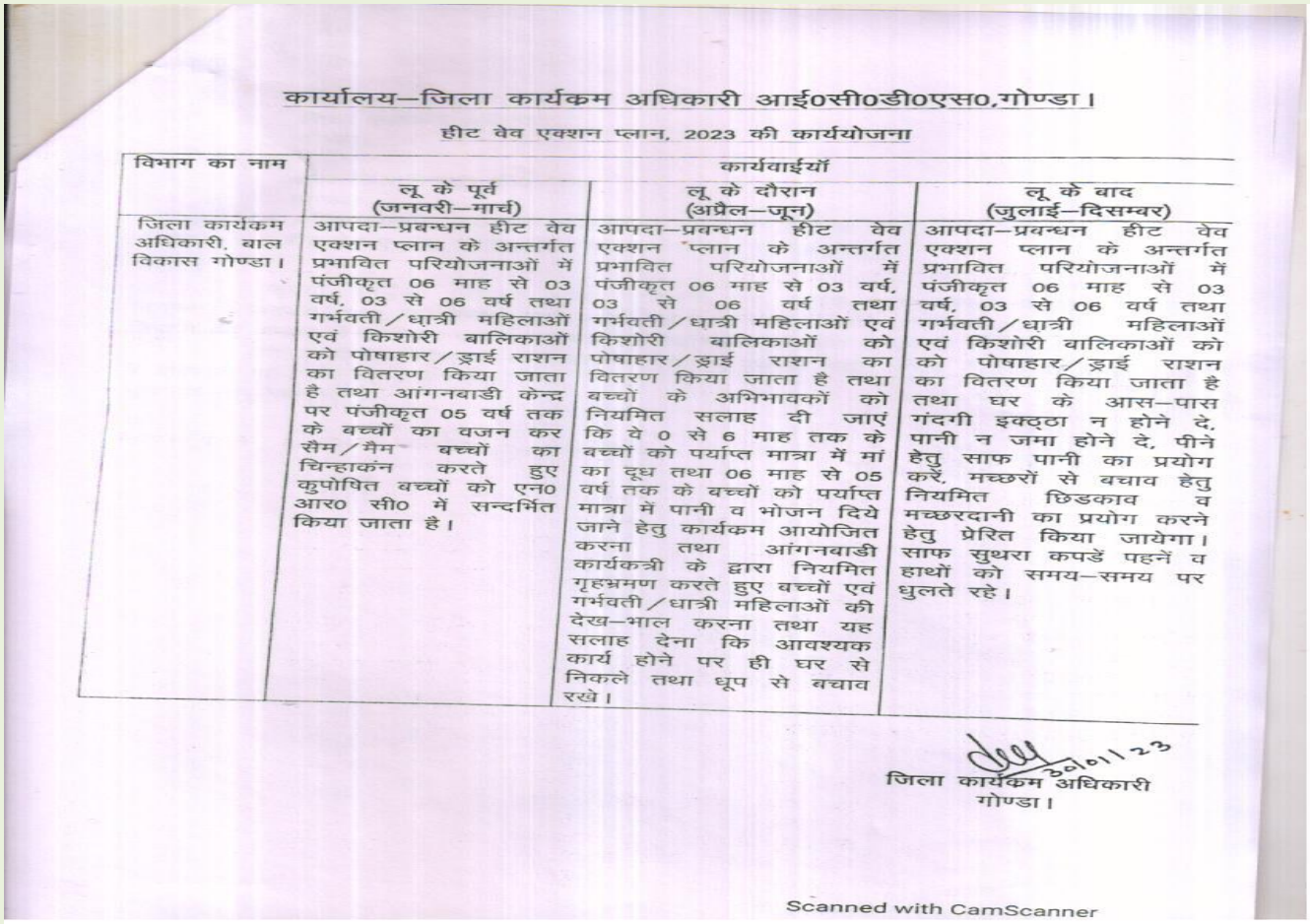

कार्यालय–जिला कार्यक्रम अधिकारी आई0सी0डी0एस0,गोण्डा।

हीट वेव एक्शन प्लान, 2023 की कार्ययोजना

विभाग का नाम	कार्यवाईयों		
	लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)	लू के दौरान (अप्रैल–जून)	लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)
जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास गोण्डा।	आपदा–प्रबन्धन हीट वेव एक्शन प्लान के अन्तर्गत प्रभावित परियोजनाओं में पंजीकृत 06 माह से 03 वर्ष, 03 से 06 वर्ष तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पोषाहार/ड्राई राशन का वितरण किया जाता है तथा आंगनबाडी केन्द्र पर पंजीकृत 05 वर्ष तक के बच्चों का वजन कर सैम/मैम बच्चों का चिन्हाकंन करते हुए कुपोषित बच्चों को एन0 आर0 सी0 में सन्दर्भित किया जाता है।	आपदा–प्रबन्धन हीट वेव एक्शन प्लान के अन्तर्गत प्रभावित परियोजनाओं में पंजीकृत 06 माह से 03 वर्ष, 03 से 06 वर्ष तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पोषाहार/ड्राई राशन का वितरण किया जाता है तथा बच्चों के अभिभावकों को नियमित सलाह दी जाएं कि वे 0 से 6 माह तक के बच्चों को पर्याप्त मात्रा में मां का दूध तथा 06 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी व भोजन दिये जाने हेतु कार्यक्रम आयोजित करना तथा आंगनबाडी कार्यकत्री के द्वारा नियमित गृहभ्रमण करते हुए बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं की देख–भाल करना तथा यह सलाह देना कि आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकले तथा धूप से बचाव रखे।	आपदा–प्रबन्धन हीट वेव एक्शन प्लान के अन्तर्गत प्रभावित परियोजनाओं में पंजीकृत 06 माह से 03 वर्ष, 03 से 06 वर्ष तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को को पोषाहार/ड्राई राशन का वितरण किया जाता है तथा घर के आस–पास गंदगी इक्ठ्ठा न होने दे, पानी न जमा होने दे, पीने हेतु साफ पानी का प्रयोग करें, मच्छरों से बचाव हेतु नियमित छिडकाव व मच्छरदानी का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। साफ सुथरा कपडें पहनें व हाथों को समय–समय पर धुलते रहे।

30/01/23

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोण्डा।

Scanned with CamScanner

हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन

गर्मियों के मौसम में लू चलना आम बात है। ''लू'' लगना गर्मी के मौसम की बीमारी है। ''लू'' लगने का प्रमुख कारण शरीर में नमक और पानी की कमी होना है। पसीने के रूप में नमक और पानी का बड़ा हिस्सा शरीर से निकलकर खून की गर्मी को बढ़ा देता है। सिर में भारीपन मालूम होने लगता है, नाड़ी की गतिबढ़ने लगती है, खून की गति भी तेज हो जाती है। सांस की गति भी ठीक नही रहती तथा शरीर में ऐंठन सी लगती है। बुखार काफी बढ़ जाता है। हाथ और पैरों के तालूओं में जलन सी होती रहती है। आँखें भी जलती हैं। इससे अचानक बेहोशी व अंततः रोगी की मौत भी हो सकती है।

विभिन्न हीट वेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचार की तालिका निम्नानुसार है:–

हीट संबंधी रोग (हीट डिस ऑर्डर)	लक्षण	प्राथमिक उपचार
सन बर्न	त्वचा में लालिमा तथा दर्द, सूजन, फफोले, बुखार तथा सिरदर्द।	साबुन का उपयोग करते हुये शावर आदि में स्नान कराना ताकि त्वचा मे तेल से बन्द छिद्र खुल जाए और शरीर प्राकृतिक रूप से शीतल हो सके। यदि फफोले पाये जाते है तो सूखे विसंक्रमिक ड्रेसिंग का उपयोग करें तथा चिकित्सकीय सलाह लें।
हीट क्रैम्प्स	उदरीय मांश पेशियों तथा हाथ, पैर की तकलीफदेह एंठन (स्पाज्म); ज्यादा पसीना आना।	पीड़ित व्यक्ति को ठण्डे तथा छायादार स्थान पर ले जाएं, कैम्पिंग मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा ऐंठन से आराम हेतु हल्की मालिश करें। पानी को बूंद–बूंद के रूप में पिलायें। यदि जी मचले तो पानी देना बन्द कर दें।
हीट एक्जाशन	अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी, त्वचा ठण्डी पीली तथा चिप–चिपी होना, सिरदर्दसामान्य तापमान मे भी होना संभव, बेहोशी, उल्टी।	ठण्डे स्थान में मरीज को लेटायें फिर वस्त्र को ढीला करें। ठण्डे कपड़े का उपयोग करें, मरीज को पंखा करें या वातानुकूलित स्थान में ले जाए। पानी को बूंद–बूंद करके पिलायें; यदि जी मचले तो इसे देना बन्द कर दें। यदि उल्टी होती है तो 108 या 102 नम्बर की एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय में भर्ती करायें।
हीट स्ट्रोक (सन स्ट्रोक)	उच्च शारीरिक तापमान (106° या अधिक) गर्म शुष्क त्वचा, तेज जोरदार नाड़ी (पल्स), बेहोशी आना तथा मरीज को पसीना आना बंद हो जाए।	हीट स्ट्रोक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति। 108 तथा 102 नम्बर पर एम्बुलेंस को चिकित्सा सेवा हेतु तत्काल कॉल करना चाहिए, या मरीज को तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। विलम्ब प्राण घातक साबित हो सकता है। मरीज को तत्काल ठण्डे वातावरण में ले जाना चाहिए या बर्फीलें पानी की स्पंजिंग करते रहना चाहिए।

हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारी की रोकथाम।

- कार्य हेतु घर से बाहर निकलने से पहले पर्याप्त रूप से तरल पदार्थो का सेवन करना।
- जहातक सम्भव हो दोपहर के समय जब हीटवेव अपने चरम की स्थिति में हो तब खुले में कार्य करने से बचना चाहिए।
- तरल पदार्थो का नियमित रूप से सेवन करना।
- हीटवेव से सम्बन्धित बीमारियों के लक्षणो के दिखाई देने पर तुरन्त नजदीकी चिकित्सा सहायाता लेना।
- तेज धूप में निकलने से बचे अगर तेज धूप में निकलना जरूरी है तो निकलते वक्त छाता लगा ले या टोपी पहन ले एवं ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर अधिक से अधिक ढ़का हो।

- हीट–स्ट्रोक से बचने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर घर से बाहर निकला जाय एवं समय–समय पर पानी का प्रयोग करते रहना चाहिए।
- निर्जलीकरण से बचने के लिए अति आवश्यक है कि अधिक मात्रा में पानी, मौसमी फलों के रस, गन्ने का रस, कच्चे आम का रस, नारियल का पानी, ओ0आर0एस0 घोल, का उपयोग किया जाय।
- चाय तथा काफी पीने से परहेज करें।
- अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गर्मी से पीड़ित है तो व्यक्ति को छायादार स्थान के नीचे किसी ठंडी जगह पर ले जाय। पानी या एक निर्जल पेय दें।
- लंबे समय तक स्वास्थ्य खराब महसूस होने पर डाक्टर की सलाह लें।
- शराब, कैफीन कोई की नशीली वस्तु न दें।
- अपने चेहरे/शरीर पर एक गीला कपड़ा रखकर व्यक्ति को ठंडा करें।
- बेहतर वेंटिलशन के लिए ढ़ीले कपड़े पहने।
- आपातकालीन किट अवश्य बनाय कर रखे निश्चित स्थान पर ही रखे।
- पानी की बोतल हमेशा साथ रखें।
- छाता, टोपी, सिर ढकने के लिए तौलिया, गमछा आदि पास में रखे।

हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोचार

- सर्वेप्रथम व्यक्ति का तापमान लेकर प्रभवित व्यक्ति को किसी छायादार स्थान पर ले जाना चाहिए।
- मरीज को ठंडी करे तथा उसके शरीर को स्पंज अथवा गीले कपड़ें से पोछे।
- मनुष्य के शरीर के उच्च तापमान को नियत्रित कर 100 डिग्री फा0 तक रखने प्रयास करें।
- मरीज को ठंडी जगह में रखें।
- मरीज को ठंडे पानी के टप में रखे अथवा उसके उपर बर्फ की पटटी रखे जब तक कि उसका तापमान 100 डिग्री0 फा0 तक न हो जाये।
- निर्जलीकरण की स्थिति में आई0वी0 फलूडस दें।
- गम्भीर रोगियों को स्थानीय चिकित्सालय/इकाई में भेजकर उपचार करायें।
- पीडित व्यक्ति के त्वचा पर ठण्डे पानी का छिडकाव करना चाहिए तथा पंखे की सहायता से हवा देनी चाहिए।
- सचेत होने की अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को नियमित तरल पदार्थ/ओ0आर0ए0 घोल देना चाहिए।
- पीड़ित व्यक्तियो को यथा शीघ्र सहायता देना चाहिए।

हीटवेव (लू) से प्रभावित मृतकों की पहचान करना तथा आंकड़ो का सुंग्रहण

हीट वेव से होने वाले मृतकों एवं परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक राहत दी जाती है। अतः मृत्यु के कारण की पहचान किया जाना आवश्यक है।

हीट वेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु को दर्ज करनाः– हीट वेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु/मृतकों को दर्ज करना महत्वपूर्ण है।

- **हीटवेव (लू) से संबेधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारी**
- लू–प्रकोप के सम्बंध मे जन जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चालाना एवं ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को अलर्ट जारी करना।
- सन स्ट्रोक से बचाव के लिए जन सूचना जारी करने के साथ–साथ आपातकालीन स्थिति के लिए कर्मचारियों को तैनात करना।
- 108/102 आपातकालीन सेवाएं सक्रिय करना।
- सभी अस्पतालों/पी.एच.सी./सी.एच.सी. में ओ.आर.एस. और तरल पदार्थ के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था कराना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पताल पर आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों को हीट वेव से किसी भी प्रकार
-
- की घटना होने पर 24×7 क्रियाशील रहने हेतु क्रियाशील रहने हेतु निर्देशित किया जाना।

हीटवेव (लू) के दौरान क्या करें क्या न करें

क्या करे–

1. कड़ी धूप में बाहर न निकले, खासकर दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक के बीच।
2. गरम हवा के स्थिति जानने के लिये रेडियो सुने, टी0वी देखे, समाचार पत्र पर स्थानीय मौसम पूर्वानुमान की जानकारी लेते रहे।
3. जितने बार हो सके पानी पीये,प्यास न लगा हो तभी पानी पीये ताकि शरीर मे पानी की कमी से होने वाली बीमारी से बचा जा सके।
4. हल्के रगं के ढीले ढाले सूती वस्त्र पहने ताकि शरीर तक हवा पहुचे और पसीने को सोख कर शरीर को ठंडा रखे।
5. धूप में बाहर जाने से बचे, अगर बहुत जरुरी हो तो गमछा, चश्में, छाता, टोपी एवं जूते या चप्पल पहनकर ही घर से बाहर निकले।
6. शराब, चाय, कॉफी जैसे पेय पदार्थो का इस्तमाल न करे, यह शरीर को निर्जलित कर सकते है।

7. यात्रा करते समय अपने साथ बोतल में पानी जरुर रखें। गीले कपड़े को अपने चेहरे, सिर और गर्दन पर रखें।

8. गर्मी के दिनों में ओ0आर0एस0 का घोल पिये। अन्य घरेलू पेय जैसे, नीबू पानी, कच्चे आम का बना लस्सी आदि का प्रयोग करे, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो।
9. अगर आपकी तबीयत ठीक न लगे, तो गर्मी से उत्पन्न हाने वाले विकारों, बीमारियों को पहचाने। तकलीफ होने पर तुरन्त चिकित्सकीय परामर्श ले।
10. जानवरों को छायादार स्थान में रखें, उन्हे पीने के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी दें।
11. अपने घर को ठंडा रखें, घर को पर्दे से ढक कर या पेन्ट लगाकर 3–4 डिग्री तक ठंडा रखा जा सकता है।
12. रात में अपने घरो की खिड़िकियो को अवश्य खुली रखें।
13. कार्यस्थल पर पानी की समुचित व्यवस्था रखें।
14. फैन, ढीले कपड़े का उपयोग करे। ठंडे पानी से बार–बार नहाएं।

क्या न करें–

1. धूप मे, खडें वाहने में बच्चे एवं पालतू जानवरों को न छोडें।
2. खिड़की की रिफलेक्अर जैसे एल्युमुनियम पन्नी, गत्ते इत्यादि से ढककर रखे, ताकि बाहर की गर्मी का अन्दर आने से रोका जा सके।
3. उन खिड़कियो दरवाजे पर जिनसे दोपहर के समय गर्म हवाऍ आती है, काले कपड़े/पर्दे लगाकर रखना चाहिए।
4. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सूनें और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सर्तक रहें।
5. आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।
6. जहॉ तक सम्भव हो घर में ही रहे , सूर्य के सर्म्पक से बचें।
7. सूर्य की तापमान से बचने के लिए जहॉ तक सम्भव हो घर की निचली मंजिल में ही रहें, सबसे उपरी मंजिल में कदापि न रहें, ताप के प्रभाव से लू (हीट–वेव) का शिकार होने की सम्भावना प्रायः बनी रहती है।
8. संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
9. दिन के 11 बजे से 3 बजे के बीच बाहर न निकले।
10. गहरे रंग के भारी एवं तंग वस्त्र पहनने से बचें।
11. खाना बनातें समय कमरे के खिड़की एवं दरवाजे खुले रखे, जिससे हवा का आना जाना बना रहे।
12. नशीले पदार्थ, शराब तथा अल्कोहल के सेवन से बचें।
13. उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचें। बासी भोजन न करें।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला प्रशासन द्वारा की गयी गतिविधियां

रहें सतर्क | मौसम पर साफ दिख रहा जलवायु परिवर्तन का असर, जिला आपदा विशेषज्ञ ने लोगों को गर्मी व लू व बचाव के बताए तरीके

पिछले वर्ष से ज्यादा तीखे तेवर में आ रही गर्मी, न बरतें लापरवाही

कार्यालय संवाददाता गोंडा

अमृत विचार। गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है और तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। गर्मी के सीजन की शुरुआत ही पिछले वर्ष के तापमान की अपेक्षा तीन से चार डिग्री बढ़े हुए तापमान से हुई है। जलवायु परिवर्तन का असर मौसम पर सीधे देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि इस वर्ष पिछले साल की अपेक्षा अधिक गर्मी पड़ेगी। ऐसे में लोगों को अधिक सतर्क रहना होगा। जिला आपदा विशेषज्ञ ने लोगों को हीट वेव (लू) से सतर्क रहने की सलाह दी है। आपदा विशेषज्ञ ने लोगों को अस बीच वेव से बचाव के टिप्स भी बताए हैं।

जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि यह आवश्यक हो गया है कि जनसामान्य आने वाले दिनों में संभावित हीट वेव (लू) से बचाव को लेकर अभी से सतर्क हो जायें तथा लू से बचाव के उपायों को जान सकें एवं अपना व समुदाय का बचाव कर सकें। बचाव के बारे में बताते हुए कहा कि धूप में खड़े वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़ें। खाना बनाते समय घर के खिड़की दरवाजे आदि खुले रखें जिससे हवा का आना जाना बना रहे। नशीले पदार्थों, शराब अथवा अल्कोहल से बचें। उच्च प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें तथा बासी भोजन कतई न इस्तेमाल करें। इसके साथ ही संतुलित व हल्का आहार लें। दोपहर के समय यदि बहुत आवश्यक हो तभी घर से धूप में बाहर निकलें अन्यथा धूप में जाने से बचें और यदि जाना ही पड़े तो सिर को जरूर ढकें। घर में पेय पदार्थ जैसे लस्सी, छांछ, मट्ठा, बेल का शर्बत, नमक चीनी का घोल, नीबू पानी या आम का पना इत्यादि का प्रयोग करें।

जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव।

राज्य स्तरीय कार्यशाला में तैयार की जा रही कार्ययोजना

जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस विषय के लेकर 28 फरवरी को लखनऊ मे आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला मे हीट वेव (लू) से बचाव एवं उपायों तथा जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पर प्रभाव आदि के सम्बन्ध विस्तृत चर्चा की गई है। जिसमे आगामी दिनों मे गर्म हवा/लू से बचाव के बारे मे तैयारियां करने एवं हीट वेव से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रभावी कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजेश ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन मे हीट वेव (लू) प्रबंधन के सम्बन्ध मे राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, पंचायतीराज, पूर्ति विभाग, नगर निकायों, पशुपालन, पुलिस कृषि सहित अन्य विभागों के माध्यम से कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

गर्म हवा व लू से बचाव के उपाय

- खिड़कियों को रिफलेक्टर जैसे एलुमिनियम पन्नी, गत्ते इत्यादि से ढककर रखें, ताकि बाहर की गर्मी को अन्दर आने से रोका जा सके।
- खिड़कियों व दरवाजों पर, जिनसे दोपहर के समय गर्म हवाएं घर के अंदर प्रवेश करती हों, उन पर काले परदे लगाकर रखें।
- स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सुने और आगामी तापमान मे होने वाले परिवर्तन के प्रति सजग रहें व बचाव के उपाय करते रहें।
- आपात स्थिति से निपटने को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।
- बच्चों तथा पालतू जानवरों को कभी बन्द वाहन मे अकेला न छोड़ें।
- जहां तक सम्भव हो घर मे ही रहें तथा सूर्य के ताप से बचें।
- सूर्य के ताप से बचने के लिए यदि मकान कई मंजिल का है तो जहां तक संभव हो घर की निचली मंजिल पर रहें।
- घर से बाहर निकलें तो शरीर व सिर को कपड़े से ढककर रखें।
- संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
- मादक पेय पदार्थों का सेवन न करें।

- आई0आर0एस0 के तर्ज पर रणनीत बनाना मोक्ड्रिल कराना जिला आपदा प्रंबधन की बैठक कराना।
- सम्बन्धित विभाग के साथ बैठक कर रणनीत बनाना।
- लू से बचाव हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियोन कराना।
- कन्ट्रोल रूम की स्थापना करना।
- सम्बन्धित विभाग के साथ प्रतिदिन रणनीत बनाना/चर्चा करना।
- समय–समय पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराना।
- क्षमता बर्धन कराना।
- मीटिगेशन फण्ड से आपदा न्यूनीकरण का कार्य कराना।
- आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण हेतु कार्य योजना का निर्माण करना
- सेंडई फ्रेम वर्क पर कार्य करना
- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्य करना
- जन जागरूकता अभियान

5.1 हीटवेव से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये अभिनव कार्य/बेस्ट प्रेक्टिसेज, उपाय (सामुदायिक जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व तैयारी, कमजोर वर्ग के लिये सुरक्षात्मक उपाय, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रतिवेदन तथा अन्य कार्य।

CASES AND DEATHS DUE TO HEAT RELATED ILLNESS- GONDA

SR.NO.	DATE	NAME OF DISTT.	NEW CASES ADMITTED DUE TO HEAT RELATED ILLNESS IN GONDA	COMMULATIVE NO. OF CASES ADMITTED DUE TO HEAT RELATED IKKNESS IN GONDA	DEATHS REPORTES DUE TO HEAT RELATED ILLNESS IN GONDA	COMMULATIVE NO. OF DEATHS DUE HEAT RELATED ILLNESS IN GONDA	REMARK (IF ANY SHORTAGE OF IV FLUIDE/TREATMENT FACILITIES ETC..)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	16-03-2023	Gonda	0	0	0	0	-

CHIFE MEDICAL OFFICER 17.3.23.
GONDA

- हीट बेव से सम्बन्धित बीमारियों के प्रबंधन हेतु ग्राम स्तर पर गठित कमिटियों के द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें समुदाय के लोगों को जागरूक किया गया कि हीट बेव से बचाव हेतु क्या करें क्या न करें।
  सर्वे कराकर आंकडों का संग्रह करके कार्य किया गया ।
  सुरक्षात्मक उपायों के साथ हीट बेव से बचने का रणनित बनाया गया

5.2 क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण की रूपरेखा तय की जाती हैं जिसमें सम्बन्धित विभाग के अधिकारी कर्मचारी,समुदाय के लोगो को समय–समय पर आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण हेतु प्रशिक्षण व माक्ड्रिल कराया जाता हैं स्कूल अस्पताल ग्रामवासियों इत्यादि लोगो को आपदा प्रबंधन का अलग–अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

5.3 दीर्घकालिक हीटवेव (लू) से सुरक्षा के उपाय।

- लोगों को हीटवेव से बचाव के लिए जागरूक किया जाय।
- समुदाय व सम्बन्धित विभाग को प्रशिक्षण कराया जाय।
- आवश्यकता के अनुसार संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए।
- समय–समय मोक्ड्रिल का आयोजन होना चाहिए।
- हीटवेव से बचाव हेतु क्या करें क्या न करें इसका प्रचार–प्रसार होना चाहिए।

5.4 सीखें

सभी विभाग/एजेन्सीज को समय से हीट वेव एक्शन प्लान तैयार कर अगले वर्ष के लिये तैयार रहना चाहिए। ताकि गर्मी से होने वाले नुकसान, मृत्यु एवं बीमारी को कम किया जा सके।''

5.5 हीटवेव (लू) से संबंधित मामलों का अध्ययन

हीटवेव से हुए हानि का सर्वे एवं पारिवारिक, भूगोलिक, सामाजिक एवं संसाधनों की उवपलब्धता पर गहन अध्ययन करके आगामी रणनीत बनाकर कार्य किया जाय।

5.6 वित्तीय प्रावधान

हीटवेव से बचाव हेतु मीटिगेशन फण्ड से वित्तीय प्रावधान किया गया है।

भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ

जनपद के नोडल अधिकारी या जिलाधिकारी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर कमजोर समूहों की सूची तैयार कराकर उनके लिए हीट वेव के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की योजना बनवाना, समय–समय पर कार्यवाही कीसमीक्षा करना, हीट वेव के लिए प्रतिक्रिया तंत्र मे शामिल सम्बन्धित विभागों, एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित करना तथा एक्शन प्लान बनाना आदि।

1–प्रतिक्रिया तंत्र मे शामिल सम्बन्धित विभागों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँः–

1.1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग–

- लू–प्रकोप के सम्बंध मे जन जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चालाना एवं ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को अलर्ट जारी करना।
- सन स्ट्रोक से बचाव के लिए जन सूचना जारी करने के साथ–साथ आपातकालीन स्थिति के लिए कर्मचारियों को तैनात करना।
- 108/102 आपातकालीन सेवाएं सक्रिय करना।
- सभी अस्पतालों/पी.एच.सी./सी.एच.सी. में ओ.आर.एस. और तरल पदार्थ के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था कराना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पताल पर आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों को हीट वेव से किसी भी प्रकार की घटना होने पर 24×7 क्रियाशील रहने हेतु क्रियाशील रहने हेतु निर्देशित किया जाना।

1.2. निरोधात्मक तथा शमनात्मक उपायों, तैयारी संबंधी स्वास्थ्य विभाग की भूमिका तथा जिम्मेदारियांः–

- इस हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से जन–जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा।
- हीट वेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट) की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।
- चूंकि हीट संबंधी रूग्णता/रोग परिहार्य/परिवर्तनीय है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त निरोधात्मक रणनीति अपनायी जाए।
- ओ0आर0एस0 का भण्डारण/संचय।

सामुदायिक स्तर पर–

- खुले जगह पर किसी तरह का सामूहिक कार्यक्रम न रखा जाए।
- दोपहर मे बच्चों के साथ यात्रा न करें।
- दोपहर मे शारीरिक श्रम नही करना चाहिए।
- मादक द्रव्य का सेवन नही करना चाहिए।
- जगह–जगह पर पेयजल एवं विश्राम स्थान का व्यवस्था होना चाहिए।

व्यक्तिगत स्तर पर–

- दोपहर में लम्बी दूरी के लिए पैदल न चलें।
- मादक द्रव्य का सेवन न करें।
- अपने शरीर को अच्छी तरह गीले कपड़ों से आवश्यकतानुसार ढके रहें।
- अधिकतम मात्रा में ठंडा पानी का सेवन करना चाहिए।
- ORS घोल पीना चाहिए जिसे पानी एवं आवश्यक उर्जा की मात्रा बनी रहे।

जलवायु अनुकूलन (एक्लीमेटाईजेशन)–

तुलनात्मक रूप से ठण्डी जलवायु वाले देश/प्रदेश से आने वाले लोगों को कम से कम एक सप्ताह तक घर से बाहर खुले में न घुमने हेतु बताया जाए ताकि नये गर्म जलवायु में उनकेअन्दर रहने की योग्यता उत्पन्न हो जाए। साथ ही प्रचुर मात्रा में पानी पीने हेतु बताया जाना चाहिए। नये (ऊष्ण) वातावरण में वातावरण का सामना करने से जलवायु अनुकूलन धीरे–धीरे हो जाता है।

1.2. परिवहन विभाग–

- बस स्टैण्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित परिवहन के लिए स्वास्थ्य टीमों की तैयारी एवं पीने के पानी तथा यात्रियों के लिए लू से बचाव की उचित व्यवस्था कराना।
- बस स्टैण्डों पर यात्रियों के लिए छाया एवं पेयजल की व्यवस्था करना।

1.3. पशुपालन विभाग–

- मवेशियों की सुरक्षा के लिए हीट वेव एक्शन प्लान की तैयारी, कार्यान्वयन और समीक्षा करना।
- गर्मी की स्थितियों के दौरान पशु प्रबन्धन पर पशुधन के किसानों के बीच जागरूकता लाने के लिए ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय कर्मचारियों को सक्रिय करना।
- सार्वजनिक स्थानों पर लू से बचाव के लिए पशु प्रबन्धन पर उपायों को पोस्टर के माध्यम से प्रकाशित करवाना।

- मवेशियों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था करना।
- पशुओं को सुरक्षित रखने हेतु टीकाकरण का कार्य नियमित रूप से संचालित किया जाना साथ ही पशु केन्द्रों पर आवश्यक दवाओं का भण्डारण सुनिश्चित हो तथा पशु चिकित्सकों के माध्यम से ग्रामीणें को पशुओं की सुरक्षा एवं लू से बचाव हेतु जागरूक किया जाना।

1.4. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग–

- बल्क मैसेज भेजने के लिए पोर्टल बनाना।
- गर्मी से संबंधित बीमारियों पर जन जागरूकता समाचार पत्र, सोशल मीडिया(व्हाट्सएप्प, फेसबुक आदि) के माध्यम से हीट वेव से बचाव का व्यापक प्रचार प्रसार कराना।

1.5. पंचायती राज विभाग–

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत काम करने का समय 12:00 से 03:00 बजे तक प्रतिबंधित करना।
- काम करने के स्थान पर पेयजल और छाया की व्यवस्था कराना।

1.6. शिक्षा विभाग–

- विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से लू–प्रकोप बचाव, उपाय, खान–पान के विषय में प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जाये साथ ही उक्त जानकारी पोस्टर इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना।
- दोपहर 12 बजे से 03 बजे के बीच संचालित स्कूलों के समय–सारिणी में बदलाव कराना।
- दोपहर के समय आउटडोर एक्टिविटी बंद कराना।
- विद्यालयों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था, ओ.आर.एस. आइस पैक एवं प्राथमिक उपचार का उचित प्रबन्धन कराना।

1.7. वन विभाग–

- पब्लिक प्लेस में उचित वनीकरण कराना सुनिश्चित करना।
- जंगल क्षेत्र में आग लगने से बचाने के लिए जल की व्यवस्था कराना।
- अधिक मात्रा में पेड़ लगवाना तथा जंगल एरिया बढ़ाना।

- वन क्षेत्र में जानवरों एवं पंक्षियों के लिए तालाब एवं पानी के स्त्रोतों का उचित प्रबन्धन करना।

1.8. अग्नि शमन विभाग–

- लू(हीट वेव)के प्रति जनसमुदाय के मध्य प्रचार–प्रसार करके जागरूक करना।
- लू के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा मुख्यालय एवं तहसीलों में स्थापित उप केन्द्रों को आवश्यक संसाधनों सहित 24×7क्रियाशील रखा जाना साथ ही लेखपाल/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर अग्नि से बचाव हेतु नागरिकों को जागरूक करना।

1.9. अनुश्रवण एवं कार्यवाहीः–

- हीट वेव का सर्विलॉन्स।
- हीट स्ट्रोक के प्रति संवेदनशील जन समुदाय की विशिष्ट देखभाल।
- कार्य/व्यवसाय सम्बन्धित समर्थन एवं परामर्श।
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशियल मीडिया के माध्यम से जन समुदाय में जागरूकता लाने हेतु वृहद स्तर पर आई0ई0सी0 अभियान चलाना।

2–रोकथाम, तैयारी और न्यूनीकरण के उपायः–

2.1. लू–प्रकोप के दौरान–

- आपातकालीन प्रबंधन टीमों की प्रतिक्रिया की जानकारी लेना। सम्बन्धित विभागों के साथ उच्च स्तर की रिपोर्टिंग करना।
- समय–समय पर गर्मी की लहर से सम्बन्धित जागरूकता एवं सुरक्षा सम्बंधी सुझावों पर विज्ञापन, स्थानीय समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से भी फैलाना।
- अस्पतालों में दवाओं की कमी न होने देना।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल फील्ड स्टॉफ और ए.एन.एम, आशा कार्यकर्ती आदि में चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा कार्यक्रमों की शुरूआत करना।
- विशिष्ट वार्डों की संवेदनशीलता पर ध्यान देना तथा 108 आपातकालीन सेवा के माध्यम से कमजोर वर्ग तक एम्बूलेंस सेवा समय पर पहुंचाना।

2.2. लू–प्रकोप के बाद–

- राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना और सुधार के लिये मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन करके हीट एक्शन प्लान का वार्षिक मूल्यांकन करना।
- सूचना और जनसम्पर्क विभाग विज्ञापन में सार्वजनिक संदेशों और सोशल मीडिया जैसे संचार के अन्य माध्यमों की पहुँच का मूल्यांकन करवाना।
- मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग के हीट वेव एक्शन प्लान की वार्षिक समीक्षा व मूल्यांकन करना।

2.3. गर्मी से सम्बन्धित बीमारी से निपटनाः–

गर्मी से सम्बन्धित बीमारी तब होती है जब शरीर मे पर्याप्त मात्रा में ठंडक न हो। बीमारी गर्म वातावरण में शामिल होता है।यदि पीड़ित व्यक्ति सन स्ट्रोक से प्रभावित है तो तत्काल एम्बूलेंस को फोन करें, जब तक एम्बूलेन्स समय पर ना पहुंचे तब तक पीड़ित व्यक्ति को छांव (ठंडे तापमान)में ले जाएं। कूलर या छायांकित क्षेत्र में लेटाकर पानी से भीगे कपड़े मे लपेटकर शरीर का तापमान ठण्डा करने की कोशिश करें।

3–हीटवेवः– कोविड–19 के दौरान (क्या करें, क्या न करें):–

1. घर पर रहें रेडियो सुने, टीवी देखें और स्थानीय मौसम और कोविड–19 की स्थिति पर अपडेट/सलाह के लिए समाचार पत्र पढ़ें।
2. जितनी बार संम्भव हो पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, भले ही प्यास न हो। मिर्गी, हृदय रोग या यकृत रोग वालेव्यक्ति जो तरल आहार पर आश्रित हैं उनके तरल आहार सेवन को रोकने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिये ओ0आर0एस0(ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन), लस्सी, तोरानी(चावल का पानी), नींबू का पानी, छाछ आदि जैसे घरेलू पेय का इस्तेमाल करें।
3. हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, बाहर जाने से बचें यदि बाहर जाना आवश्यक है तो अपने सिर (कपड़े/टोपी या छाता) और चेहरे को कवर करें। जहां तक सम्भव हो किसी भी प्रकार के सतह को छूने से बचें। विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर मे रहें।

4. अन्य व्यक्तियों से कम से कम 1 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखें, साबुन और पानी से हाथों को बार–बार ठीक से हाथ धोएं। जब साबुन और पानी न हो तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें।
5. घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग तौलिये रखें। इन तौलियों को नियमित रूप से धोएं। जितना हो सके घर के अन्दर ही रहें।
6. अपने घर में ठंडक बनाए रखने के लिए पर्दे,पंखे, कूलर, शटर एवं सन शेड का उपयोग करें, और रात में खिड़कियां खोलें। निचली मंजिलों में रहने का प्रयास करें।
7. अधिक गर्मी से निपटने के लिये हल्के कपड़ो का प्रयोग करें और ठंडे पानी से स्नान करें।
8. यदि आपको सांस लेने में तकलीफ, लगातार खांसी, तेज बुखार, तेज धड़कन, सिरदर्द, चक्कर आना आदि जैसी समस्या है, तो तुरन्त डॉक्टर से मिलें तथा धूप से बचें। ऐसे लोगों के सम्पर्क से बचें जो बीमार हैं।
9. जानवरों को छाया में रखें और उन्हे पीने के लिए भरपूर पानी दें।
10. खाना पकाते समय किचन के दरवाजे और खिड़की खोल दें जिससे किचन हवादार बना रहे।
11. शराब, चाय, कॉफी, और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें, ये शरीर को निजर्लित करते हैं। उच्च प्रोटीन, मसालेदार और तैलीयभोजन से बचें। बासी भोजन ना करें, बिना हाथ धुले अपनी आंख, नाक और मुंह को ना छुएं।
12. श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर स्वच्छ और ठंडा पेयजल की सुविधा प्रदान करें। श्रमिकों को सीधे धूप से बचने के लिये विशेष सावधानी बरतें। यदि उन्हें खुले में काम करना पड़ता है (कृषि मजदूर, मनरेगा मजदूर आदि), तो सुनिश्चित करें कि वे हर समय अपना सिर एवं चेहरा ढकें रहें। गर्भवती महिलाओं या कामगारों को चिकित्सीय स्थिति पर विशेष ध्यान दें।
13. सभी कार्यकर्ता मास्क पहनें, दूसरों से 1 या 1.5 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखें और हाथ की सफाई का अभ्यास करें। लगातार साबुन और पानी से हाथ धोएं।
14. रात मे खाने के स्थान का प्रबन्ध इस तरह से करें कि दो व्यक्तियों के बीच 1 या 1.5 मीटर की दूरी हो।
15. जब आप काम के बाद घर जाते हैं तो एक बार जरूर स्नान करें और अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को अच्छी तरह से धोएं।हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

16. यदि कोई बीमार है, तो उसे ड्यूटी पर्यवेक्षक को सूचित किया जाना चाहिए। कार्य स्थल पर तंबाकू न खाएं और ना ही धुम्रपान करें।सफाई कर्मचारियों को अपने सिर को ढकना चाहिए, मास्क और दस्ताने पहनना चाहिए।
17. किसी से भी हाथ ना मिलाएं और ना ही गले मिले, बीमार होने पर काम पर मत जाएं।
18. बाजारों और धार्मिक स्थानों जैसे भीड़ भरे स्थानों पर न जाए

4–दस्तावेज

दस्तावेजतैयार करना(Documentation)

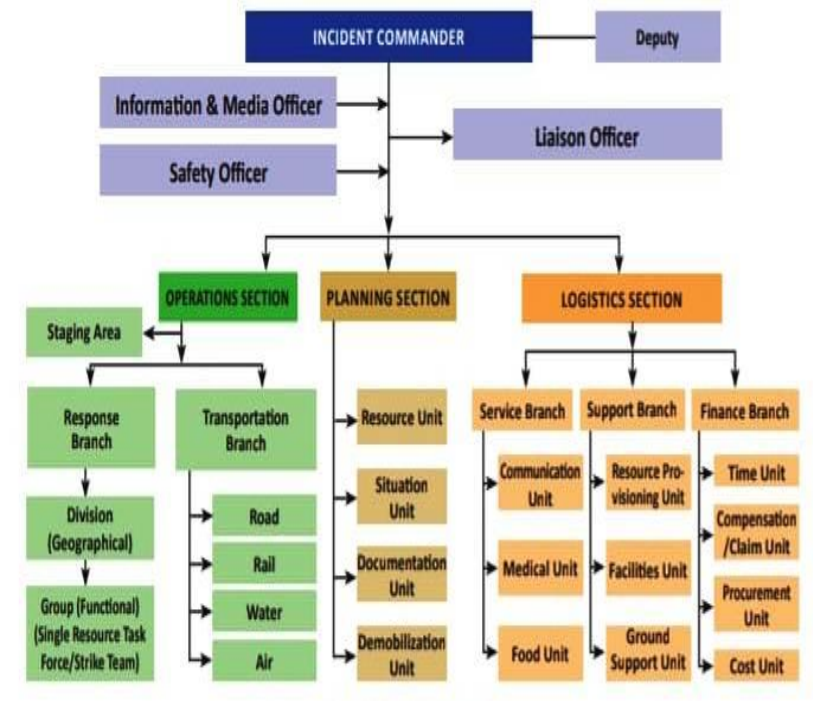

निष्कर्ष

''सभी विभाग/एजेन्सीज को समय से हीट वेव एक्शन प्लान तैयार कर अगले वर्ष के लिये तैयार रहना चाहिए। ताकि गर्मी से होने वाले नुकसान, मृत्यु एवं बीमारी को कम किया जा सके।''

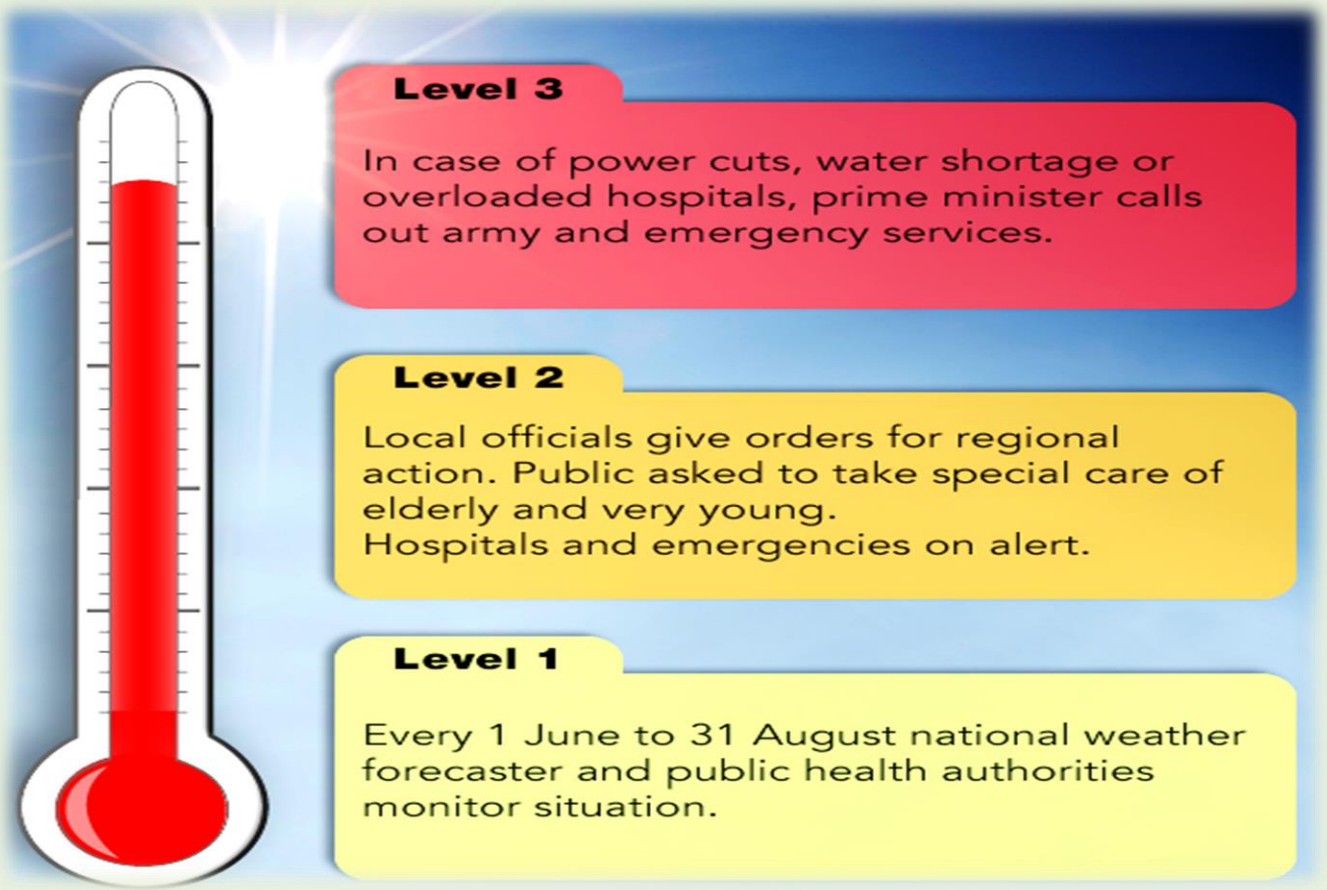

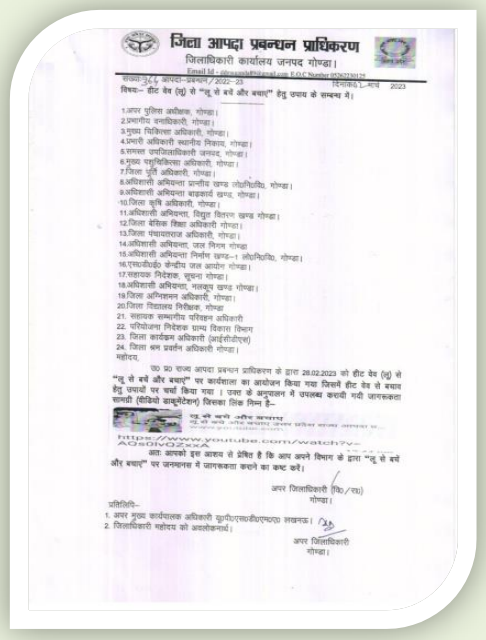

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

जिलाधिकारी कार्यालय जनपद गोण्डा।

Email Id - ddmagonda89@gmail.com E.O.C Number 05262230125

संख्या-366 आपदा-प्रबन्धन/2022-23 दिनांक 07 मार्च 2023

विषय:- हीट वेव (लू) से "लू से बचें और बचाएं" हेतु उपाय के सम्बन्ध में।

1. अपर पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
4. प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, गोण्डा।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद, गोण्डा।
6. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
7. जिला पूर्ति अधिकारी, गोण्डा।
8. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, गोण्डा।
9. अधिशासी अभियन्ता बाढ़कार्य खण्ड, गोण्डा।
10. जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा।
11. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा।
13. जिला पंचायतराज अधिकारी, गोण्डा।
14. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम गोण्डा
15. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0, गोण्डा।
16. एस0डी0ई0 केन्द्रीय जल आयोग गोण्डा।
17. सहायक निदेशक, सूचना गोण्डा।
18. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड गोण्डा।
19. जिला अग्निशमन अधिकारी, गोण्डा।
20. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा
21. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
22. परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास विभाग
23. जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस)
24. जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी गोण्डा।

महोदय,

उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा 28.02.2023 को हीट वेव (लू) से "लू से बचें और बचाएं" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें हीट वेव से बचाव हेतु उपायों पर चर्चा किया गया। उक्त के अनुपालन में उपलब्ध करायी गयी जागरूकता सामग्री (वीडियो डाकूमेंटेशन) जिसका लिंक निम्न है-

लू से बचें और बचाएं

https://www.youtube.com/watch?v=AOs0IvOZxxA

अतः आपको इस आशय से प्रेषित है कि आप अपने विभाग के द्वारा "लू से बचें और बचाएं" पर जनमानस में जागरूकता कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गोण्डा।

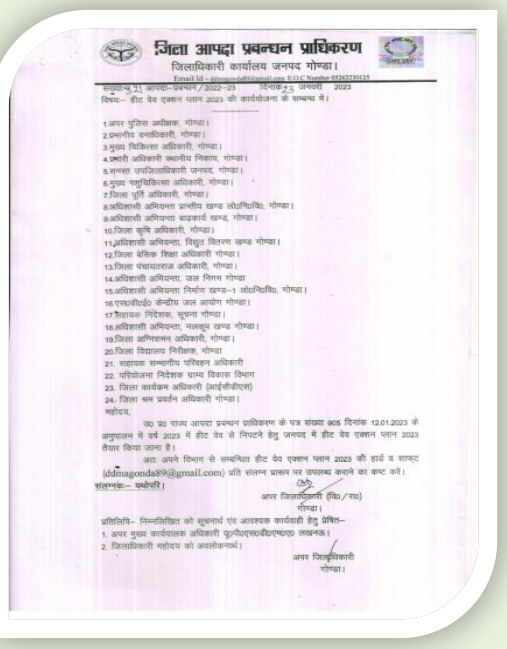

प्रतिलिपि-
1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यू0पी0एस0डी0एम0ए0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी
गोण्डा।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

जिलाधिकारी कार्यालय जनपद गोण्डा।

Email Id - ddmagonda89@gmail.com E.O.C Number 05262230125

संख्या-391 आपदा-प्रबन्धन/2022-23 दिनांक 23 जनवरी 2023

विषय:- हीट वेव एक्शन प्लान 2023 की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

1. अपर पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
4. प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, गोण्डा।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद, गोण्डा।
6. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
7. जिला पूर्ति अधिकारी, गोण्डा।
8. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, गोण्डा।
9. अधिशासी अभियन्ता बाढ़कार्य खण्ड, गोण्डा।
10. जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा।
11. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा।
13. जिला पंचायतराज अधिकारी, गोण्डा।
14. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम गोण्डा
15. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0, गोण्डा।
16. एस0डी0ई0 केन्द्रीय जल आयोग गोण्डा।
17. सहायक निदेशक, सूचना गोण्डा।
18. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड गोण्डा।
19. जिला अग्निशमन अधिकारी, गोण्डा।
20. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा
21. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
22. परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास विभाग
23. जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस)
24. जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी गोण्डा।

महोदय,

उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या 905 दिनांक 12.01.2023 के अनुपालन में वर्ष 2023 में हीट वेव से निपटने हेतु जनपद में हीट वेव एक्शन प्लान 2023 तैयार किया जाना है।

अतः अपने विभाग से सम्बन्धित हीट वेव एक्शन प्लान 2023 की हार्ड व साफ्ट (ddmagonda89@gmail.com) प्रति संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः- यथोपरि।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गोण्डा।

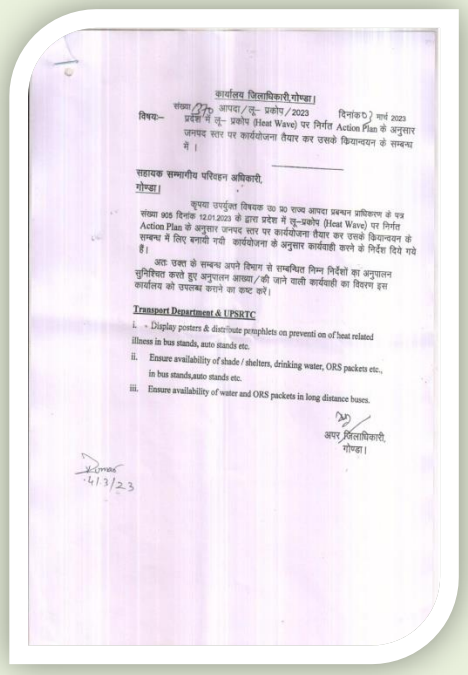

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यू0पी0एस0डी0एम0ए0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी
गोण्डा।

कार्यालय जिलाधिकारी,गोण्डा।

संख्या 370 आपदा/लू- प्रकोप/2023 दिनांक 03 मार्च 2023

विषयः- प्रदेश में लू- प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
गोण्डा।

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या 905 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में लिए बनायी गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध अपने विभाग से सम्बन्धित निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या/की जाने वाली कार्यवाही का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Transport Department & UPSRTC

i. - Display posters & distribute pemphlets on preventi on of heat related illness in bus stands, auto stands etc.

ii. Ensure availability of shade / shelters, drinking water, ORS packets etc., in bus stands,auto stands etc.

iii. Ensure availability of water and ORS packets in long distance buses.

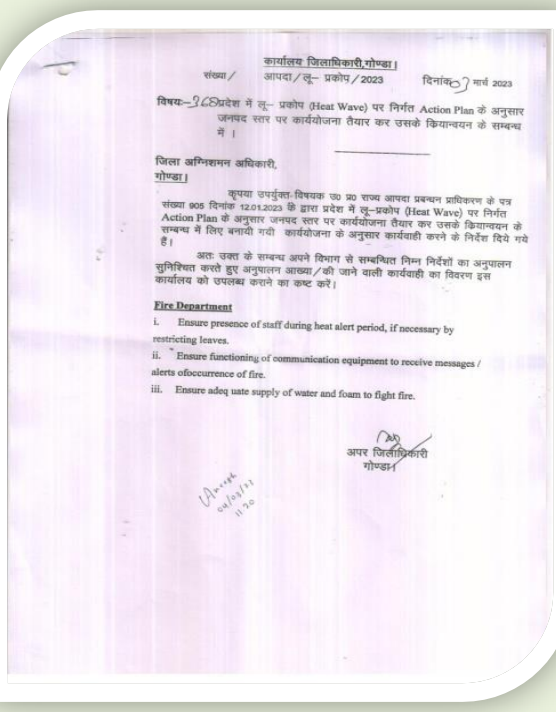

अपर जिलाधिकारी,
गोण्डा।

Kumar 4/3/23

कार्यालय जिलाधिकारी,गोण्डा।

संख्या/ आपदा/लू- प्रकोप/2023 दिनांक 03 मार्च 2023

विषयः-368 प्रदेश में लू- प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में।

जिला अग्निशमन अधिकारी,
गोण्डा।

कृपया उपर्युक्त-विषयक उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या 905 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में लिए बनायी गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध अपने विभाग से सम्बन्धित निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या/की जाने वाली कार्यवाही का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Fire Department

i. Ensure presence of staff during heat alert period, if necessary by restricting leaves.

ii. Ensure functioning of communication equipment to receive messages / alerts ofoccurrence of fire.

iii. Ensure adeq uate supply of water and foam to fight fire.

अपर जिलाधिकारी
गोण्डा।

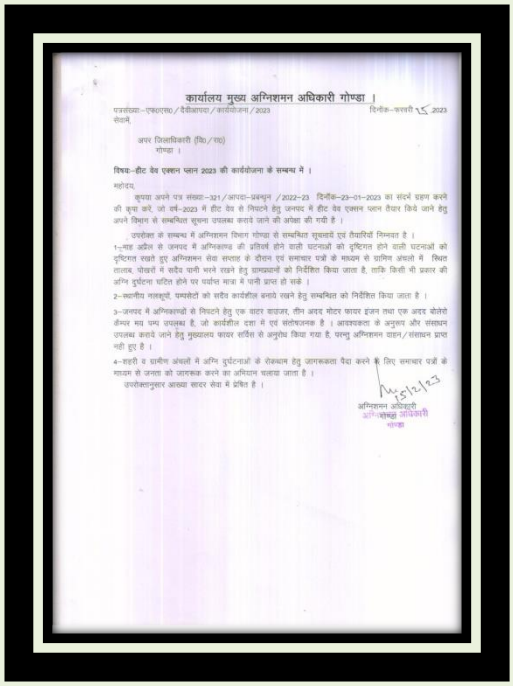

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा ।

पत्रसंख्या:-एफ0एस0/दैवीआपदा/कार्ययोजना/2023 दिनाँक-फरवरी 15 2023

सेवामें,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गोण्डा ।

विषय:-हीट वेव एक्शन प्लान 2023 की कार्ययोजना के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या:-321/आपदा-प्रबन्धन /2022-23 दिनाँक-23-01-2023 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो वर्ष-2023 में हीट वेव से निपटने हेतु जनपद में हीट वेव एक्शन प्लान तैयार किये जाने हेतु अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग गोण्डा से सम्बन्धित सूचनायें एवं तैयारियाँ निम्नवत है ।

1-माह अप्रैल से जनपद में अग्निकाण्ड की प्रतिवर्ष होने वाली घटनाओं को दृष्टिगत होने वाली घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान एवं समाचार पत्रों के माध्यम से ग्रामिण अंचलो में स्थित तालाब, पोखरों में सदैव पानी भरने रखने हेतु ग्रामप्रधानों को निर्देशित किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना घटित होने पर पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त हो सके ।

2-स्थानीय नलकूपों, पम्पसेटों को सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है ।

3-जनपद में अग्निकाण्डो से निपटने हेतु एक वाटर वाउजर, तीन अदद मोटर फायर इंजन तथा एक अदद बोलेरो कैम्पर मय पम्प उपलब्ध है, जो कार्यशील दशा में एवं संतोषजनक है । आवश्यकता के अनुरूप और संसाधन उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यालय फायर सर्विस से अनुरोध किया गया है, परन्तु अग्निशमन वाहन/संसाधन प्राप्त नही हुए है ।

4-शहरी व ग्रामीण अंचलो में अग्नि दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का अभियान चलाया जाता है ।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित है ।

15/2/23

अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा

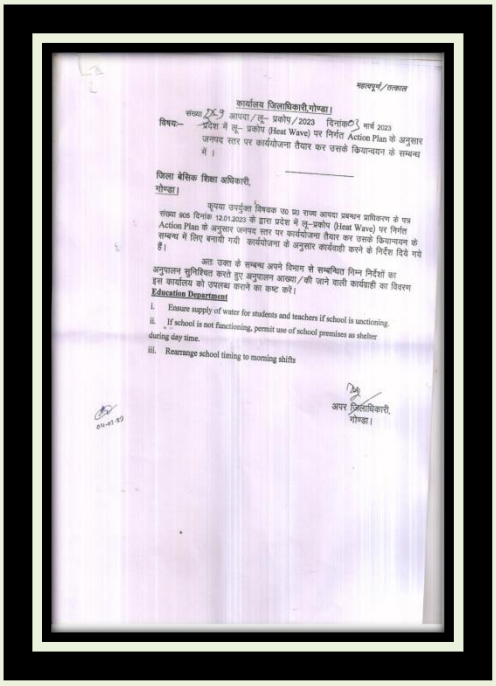

महत्वपूर्ण/तत्काल

कार्यालय जिलाधिकारी,गोण्डा।

संख्या 289 आपदा/लू- प्रकोप/2023 दिनांक03 मार्च 2023

विषय:- प्रदेश में लू- प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोण्डा।

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या 905 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में लिए बनायी गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध अपने विभाग से सम्बन्धित निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या/की जाने वाली कार्यवाही का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Education Department

i. Ensure supply of water for students and teachers if school is unctioning.

ii. If school is not functioning, permit use of school premises as shelter during day time.

iii. Rearrange school timing to morning shifts

04-03-23

अपर जिलाधिकारी,
गोण्डा।

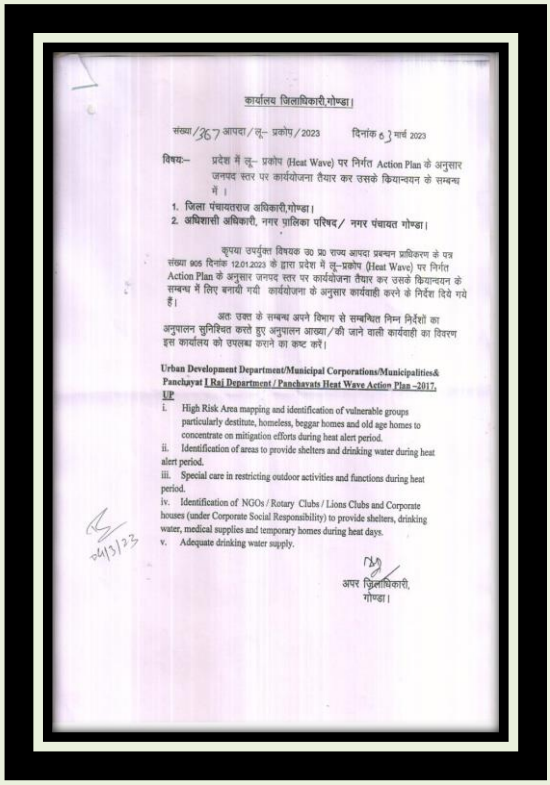

कार्यालय जिलाधिकारी,गोण्डा।

संख्या/367 आपदा/लू- प्रकोप/2023 दिनांक 03 मार्च 2023

विषय:- प्रदेश में लू- प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में ।

1. जिला पंचायतराज अधिकारी,गोण्डा।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत गोण्डा।

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या 905 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में लिए बनायी गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध अपने विभाग से सम्बन्धित निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या/की जाने वाली कार्यवाही का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Urban Development Department/Municipal Corporations/Municipalities& Panchayat I Raj Department / Panchayats Heat Wave Action Plan -2017, UP

i. High Risk Area mapping and identification of vulnerable groups particularly destitute, homeless, beggar homes and old age homes to concentrate on mitigation efforts during heat alert period.

ii. Identification of areas to provide shelters and drinking water during heat alert period.

iii. Special care in restricting outdoor activities and functions during heat period.

iv. Identification of NGOs / Rotary Clubs / Lions Clubs and Corporate houses (under Corporate Social Responsibility) to provide shelters, drinking water, medical supplies and temporary homes during heat days.

v. Adequate drinking water supply.

04/3/23

अपर जिलाधिकारी,
गोण्डा।

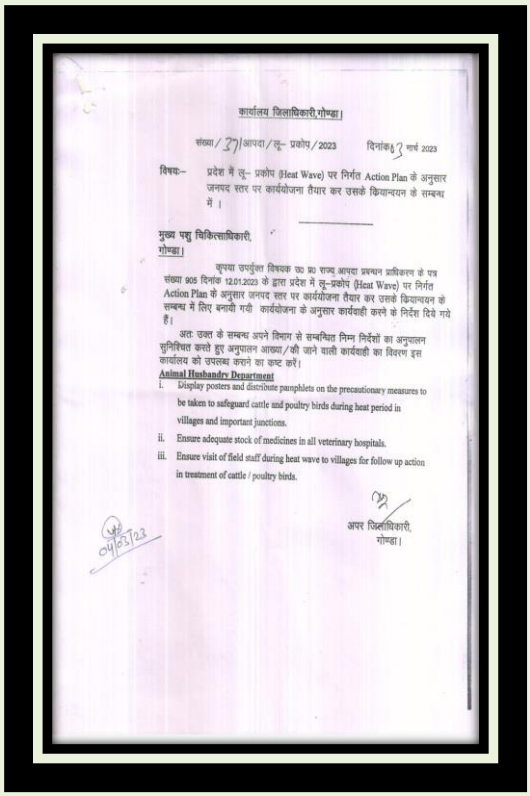

कार्यालय जिलाधिकारी,गोण्डा।

संख्या/371 आपदा/लू- प्रकोप/2023 दिनांक03 मार्च 2023

विषय:- प्रदेश में लू- प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
गोण्डा।

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या 905 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में लिए बनायी गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध अपने विभाग से सम्बन्धित निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या/की जाने वाली कार्यवाही का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Animal Husbandry Department

i. Display posters and distribute pamphlets on the precautionary measures to be taken to safeguard cattle and poultry birds during heat period in villages and important junctions.

ii. Ensure adequate stock of medicines in all veterinary hospitals.

iii. Ensure visit of field staff during heat wave to villages for follow up action in treatment of cattle / poultry birds.

04/03/23

अपर जिलाधिकारी,
गोण्डा।

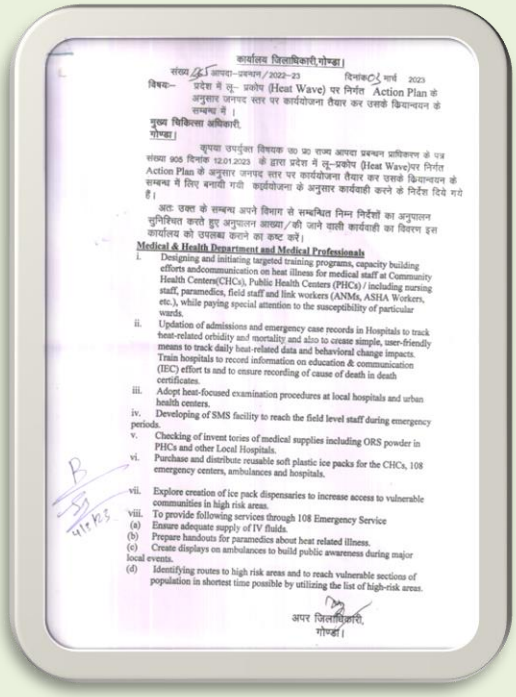

कार्यालय जिलाधिकारी,गोण्डा।

संख्या 365 आपदा–प्रबन्धन / 2022–23 दिनांक 05 मार्च 2023

विषयः– प्रदेश में लू– प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गोण्डा।

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या 905 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा प्रदेश में लू–प्रकोप (Heat Wave)पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में लिए बनायी गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के सम्बन्ध अपने विभाग से सम्बन्धित निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या/की जाने वाली कार्यवाही का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Medical & Health Department and Medical Professionals

i. Designing and initiating targeted training programs, capacity building efforts andcommunication on heat illness for medical staff at Community Health Centers(CHCs), Public Health Centers (PHCs) / including nursing staff, paramedics, field staff and link workers (ANMs, ASHA Workers, etc.), while paying special attention to the susceptibility of particular wards.

ii. Updation of admissions and emergency case records in Hospitals to track heat-related orbidity and mortality and also to create simple, user-friendly means to track daily heat-related data and behavioral change impacts. Train hospitals to record information on education & communication (IEC) effort ts and to ensure recording of cause of death in death certificates.

iii. Adopt heat-focused examination procedures at local hospitals and urban health centers.

iv. Developing of SMS facility to reach the field level staff during emergency periods.

v. Checking of invent tories of medical supplies including ORS powder in PHCs and other Local Hospitals.

vi. Purchase and distribute reusable soft plastic ice packs for the CHCs, 108 emergency centers, ambulances and hospitals.

vii. Explore creation of ice pack dispensaries to increase access to vulnerable communities in high risk areas.

viii. To provide following services through 108 Emergency Service
(a) Ensure adequate supply of IV fluids.
(b) Prepare handouts for paramedics about heat related illness.
(c) Create displays on ambulances to build public awareness during major local events.
(d) Identifying routes to high risk areas and to reach vulnerable sections of population in shortest time possible by utilizing the list of high-risk areas.

अपर जिलाधिकारी,
गोण्डा।

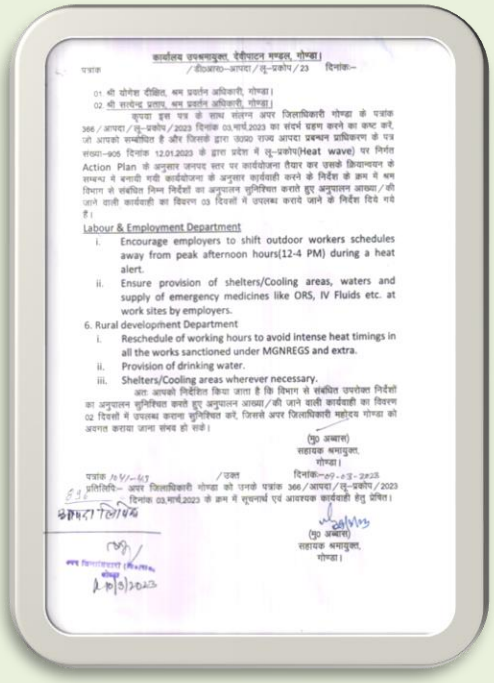

कार्यालय उपश्रमायुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

पत्रांक /डी0आर0–आपदा/लू–प्रकोप/23 दिनांक–

01. श्री योगेश दीक्षित, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गोण्डा।
02. श्री सत्येन्द्र प्रताप, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गोण्डा।

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न अपर जिलाधिकारी गोण्डा के पत्रांक 366/आपदा/लू–प्रकोप/2023 दिनांक 03.मार्च.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आपको सम्बोधित है और जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या–905 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा प्रदेश में लू–प्रकोप(Heat wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बनायी गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश के क्रम में श्रम विभाग से संबंधित निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या/की जाने वाली कार्यवाही का विवरण 03 दिवसों में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

Labour & Employment Department

i. Encourage employers to shift outdoor workers schedules away from peak afternoon hours(12-4 PM) during a heat alert.

ii. Ensure provision of shelters/Cooling areas, waters and supply of emergency medicines like ORS, IV Fluids etc. at work sites by employers.

6. Rural development Department

i. Reschedule of working hours to avoid intense heat timings in all the works sanctioned under MGNREGS and extra.

ii. Provision of drinking water.

iii. Shelters/Cooling areas wherever necessary.

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विभाग से संबंधित उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या/की जाने वाली कार्यवाही का विवरण 02 दिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे अपर जिलाधिकारी महोदय गोण्डा को अवगत कराया जाना संभव हो सके।

(मु0 अब्बास)
सहायक श्रमायुक्त,
गोण्डा।

पत्रांक 1041–43 /उक्त दिनांक–09-03-2023

प्रतिलिपि– अपर जिलाधिकारी गोण्डा को उनके पत्रांक 366/आपदा/लू–प्रकोप/2023 दिनांक 03.मार्च.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मु0 अब्बास)
सहायक श्रमायुक्त,
गोण्डा।

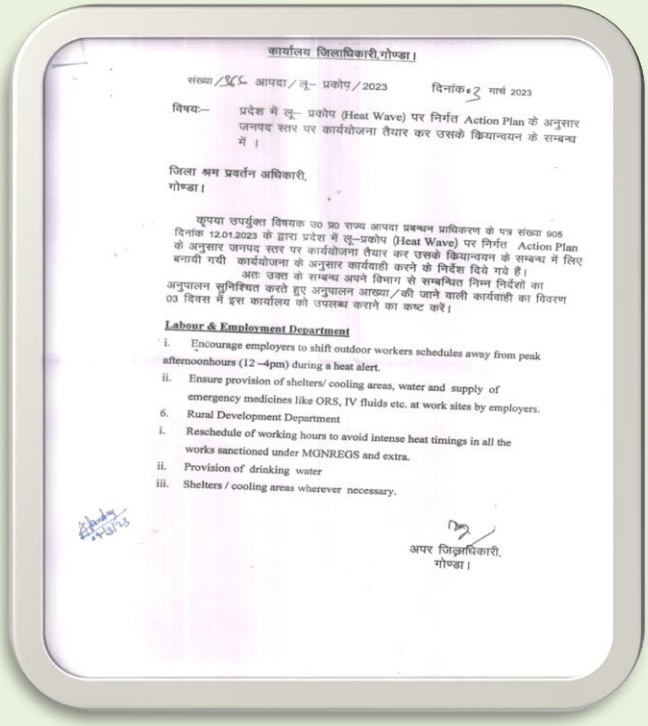

कार्यालय जिलाधिकारी,गोण्डा।

संख्या/365 आपदा/लू– प्रकोप/2023 दिनांक 3 मार्च 2023

विषयः– प्रदेश में लू– प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में ।

जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी,
गोण्डा।

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या 905 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा प्रदेश में लू–प्रकोप (Heat Wave) पर निर्गत Action Plan के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में लिए बनायी गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध अपने विभाग से सम्बन्धित निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या/की जाने वाली कार्यवाही का विवरण 03 दिवस में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Labour & Employment Department

i. Encourage employers to shift outdoor workers schedules away from peak afternoonhours (12 –4pm) during a heat alert.

ii. Ensure provision of shelters/ cooling areas, water and supply of emergency medicines like ORS, IV fluids etc. at work sites by employers.

6. Rural Development Department

i. Reschedule of working hours to avoid intense heat timings in all the works sanctioned under MGNREGS and extra.

ii. Provision of drinking water

iii. Shelters / cooling areas wherever necessary.

अपर जिलाधिकारी,
गोण्डा।

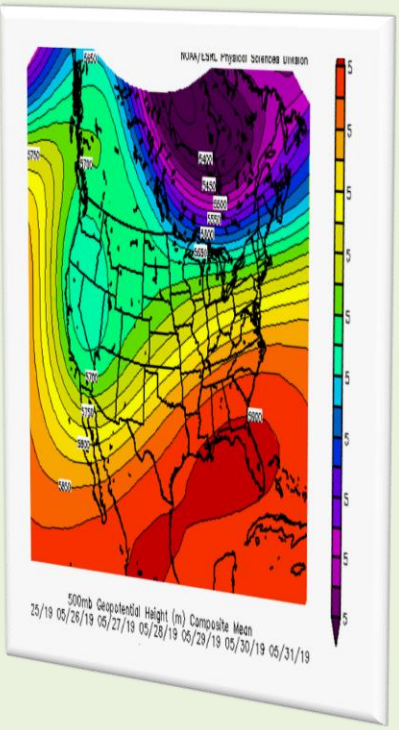

3. महत्वपूर्ण फोन नंम्बर की लिस्ट (नोडल अधिकारी सहित)

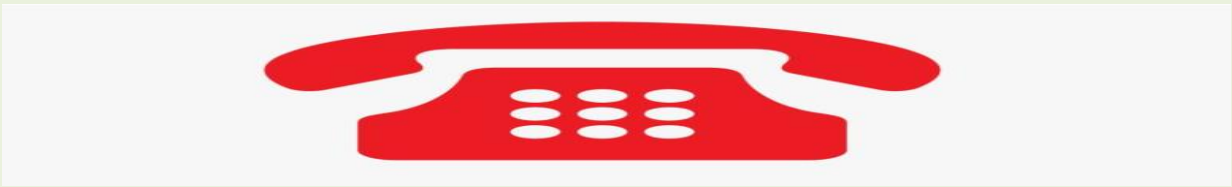

क्रमांक	अधिकारी का नाम व पदनाम	तैनाती का स्थान	सी0यू0जी0 नम्बर
1.	जिलाधिकारी	गोण्डा	9454417537
2.	पुलिस अधीक्षक	गोण्डा	9454400272
3	मुख्य विकास अधिकारी	गोण्डा	9454419046
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	गोण्डा	9454417608
5.	अपर उपजिलाधिकारी–2 गोण्डा	गोण्डा	9454419051
6.	सेनानायक 30वी वाहिनी पी0ए0सी0	गोण्डा	9454400414
7.	नगर मजिस्ट्रेट गोण्डा	गोण्डा	9454416081
8.	उपजिलाधिकारी गोण्डा	गोण्डा	9454416072
9.	उपजिलाधिकारी मनकापुर	मनकापुर	9454416073
10	उपजिलाधिकारी तरबगंज	तरबगंज	9454416074
11.	उपजिलाधिकारी करनैलगंज	करनैलगंज	9454416075
12.	तहसीलदार गोण्डा।	गोण्डा।	9454416076
13	तहसीलदार मनकापुर	मनकापुर	9454416077
14.	तहसीलदार तरबगंज	तरबगंज	9454416078
15.	तहसीलदार करनैलगंज	करनैलगंज	9454416079
16.	नायब तहसीलदार गोण्डा	गोण्डा	9454416083
17.	नायब तहसीलदार मनकापुर	मनकापुर	9454416085
18.	नायब तहसीलदार तरबगंज	तरबगंज	9454416086
19.	नायब तहसीलदार करनैलगंज	करनैलगंज	9454416087
20.	मुख्य चिकित्साधिकारी	गोण्डा	8005192659
21.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	गोण्डा	9454418381

सामु0स्वा0केन्द्र के अधीक्षक के नाम व मोबाइल नम्बर

क्रम0	अधीक्षक का नाम	सामु0स्वा0केन्द्र	मोबाइल नम्बर
1.	डा0 पूजा जायसवाल	पण्डरी कृपाल	8527711034
2.	डा0 सुनील	इटियाथोक	8800830891
3.	डा0 सुमन मिश्रा	मुजेहना	9936241551
4.	डा0 एस0एन0 सिंह	काजीदेवर	8318392047
5.	डा0 स्वेता त्रिपाठी	खरगूपुर	7355099940
6.	डा0 मुद्स्सिर	कर्नलगंज	8090157786
7.	डा0 एस0पी0 वर्मा	हलधरमऊ	9415013589
8.	डा0 सतपाल सोनकर	बेलसर	8299429709
9.	डा0 लवकेश शुक्ला	परसपुर	9792799562
10	डा0 धीरज	तरबगंज	9953481803
11.	डा0 अमित भारती	कटरा बाजार	9045800966
12.	डा0 आशुतोष शुक्ला	वजीरगंज	8004484524
13.	डा0 विनमेश त्रिपाठी	नवाबगंज	9889627151
14.	डा0 डी0के0 भास्कर	मनकापुर	8081427005
15.	डा0 आलोक सिंह	मसंकनवा	9454484529
16.	डा0 तरून मौर्या	बभनजोत	7007248712

औषधि का विवरण

क्रम0	औषधि का नाम	मात्रा
1.	ओ0आर0एस0 पैकेट	288450
2.	पैरासिटामॉल टेबलेट	1788700
3.	आई0वी0 एंव आर0एल0 फ्लूड	11250

एम्बुलेन्स का विवरण

क्रम0	एम्बुलेन्स	वाहन
1.	**एम्बुलेन्स–108**	39
2.	**एम्बुलेन्स–102**	40
3.	**एम्बुलेन्स–ALS**	03

Annexure-6

Format A: Death reported due to Heat Wave (States report to NDMA)

Name of the State: **Year:** **Reporting Periods:** **Date of Reporting:**

District		Location						Occupation					Economic		
		Urban		Rural		Total		Farmers	Labours	Hawkers	Others	Total	BPL	APL	Total
	Age Group	M	F	M	F	M	F								
District 1	0-6 years														
	7-18 years														
	19-35 years														
	36-60 years														
	61 > above														
	Sub Total														
District 2	0-6 years														
	7-18 years														
	19-35 years														
	36-60 years														
	61 > above														
	Sub Total														
Total State															

*If any other information related to heat wave, please enclose a separate page.

Name and designation of the reporting officer: Signature with Date

Format B: Details of the death reported due to Heat-Wave (record kept with State government)

S. No.	Name and Address	Age	Sex (M/F)	Occupation	Place of death	Date and time of death	Max Temp recorded (Rectal and Oral)	Deaths reported during heat wave period or Not	List of chronic diseases present (Ask the family members)	Date and time of post mortem (If conducted)	Date and time of joint enquiry conducted with a revenue authority	Cause of death	Remarks	
													Related to post-mortem	Related to Joint enquiry
1														
2														
3														
4														

Name and designation of the reporting officer: Signature with Date

Annexure- 7

Format A

DAILY REPORT OF HEAT STROKE CASES AND DEATHS (District report to State government)

S. No.	Village	PHC	Block/City	Name & Son/ Daughter/Wife of	Urban U Rural R	BPL Y/N	Age/Sex	Date of attack of Heat Stroke	Any Antecedent illness	Cause of death	Death confirmed by MOs and MROs

PREVENTION AND MANAGEMEN

Annexure-1

Format A

Death reported due to Heat Wave (District report to SDMA)

Name of the District: **Year:**

Reporting Periods: **Date of Reporting:**

Tehsil		Location						Occupation					Economic		
		Urban		Rural		Total		Farmers	Labours	Hawkers	Others	Total	BPL	APL	Total
	Age Group	M	F	M	F	M	F								
Tehsil 1	0-6 years														
	7-18 years														
	19-35 years														
	36-60 years														
	61> above														
	Sub Total														
Tehsil2	0-6 years														
	7-18														

	years														
	19-35 years														
	36-60 years														
	61> above														
	Sub Total														
Total District															

* If any other information related to heat wave, please enclose a separate page.

Name and designation of the reporting officer:

Signature with date:

Format B

Details of the Death reported due to Heat-Wave

S. No	Name and Address	Age	Sex (M/F)	Occupation	Place of Death	Date and time of death	Max Temp recorded (Rectal and Oral)	Deaths reported during heat wave period or not	List of chronic diseases present (ask the family members)	Date and time of post mortem (If conducted)	Date and time of joint enquiry conducted with a revenue authority	Cause of death	Remarks	
													Related to post-mortem	Related to joint enquiry
1														
2														
3														
4														

Name and designation of the reporting officer:

Signature with date:

Annexure-2

Format A

DAILY REPORT OF HEAT STROKE CASES AND DEATHS

S. No.	Village	PHC	Block/ City	Name & Son/Daughter/ Wife of	Urban U Rural R	BPL Y/N	Age /Sex	Date of Attack of Heat Stroke	Any Antecedent illness	Cause of death	Death confirmed by MOs and MROs

Format B

DEATHS DUE TO HEAT RELATED ILLNESS

District:

Date:

S. No.	Name of the Tehsil	New cases admitted due to Heat related illness since the last reporting period	Cumulative no of cases admitted due to Heat Related Illness since 1st April	Deaths Reported due to Heat related Ilness since the last reporting period	Cumulative no of Deaths Due to Heat related Illness since 1st april	Remarks (If any shortage of ORS/IV fluids/ Treatment facilities etc...)
1						
2						
3						
4						
TOTAL						

सूचना शिक्षा एवं संचार सामग्री

(IEC Material)

धन्यवाद

सम्पर्क सूत्र

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण
जिलाधिकारी,कार्यालय गोण्डा
फोन नम्बर–05262–230125
टोल फ्री नम्बर–1077
E-mail:ddmagonda89@gmail.com